रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक संवत्) [संख्या 15

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग.अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	153–162	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	377–396	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	451–508	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग–3

तैनाती

18 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 I/745096/2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत चयन वर्ष 2023-24 हेतु एलोपैथिक विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, ग्रेड-2 (स्तर-2) जनरल सर्जन के पद पर चयनित डा0 जया भार्गव, नवनियुक्त चिकित्साधिकारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2274/चि0-3-2024, दिनांक 30 अगस्त, 2024 द्वारा जिला चिकित्सालय, सीतापुर में तैनाती प्रदान करते हुए योगदान आख्या अपने तैनाती स्थल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

2– अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3फ/सू0अ0/1582, दिनांक 05 सितम्बर, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव तथा डा0 जया भार्गव, नवनियुक्त चिकित्साधिकारी के पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2024 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 जया भार्गव का तैनाती स्थल परिवर्तित करते हुए नवीन तैनाती स्थल डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में तैनात किया जाता है।

3– डा0 जया भार्गव को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुभाग–2

प्रोन्नति

30 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 I/784793/2024–तात्कालिक प्रभाव से प्रदेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे-8,900 पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे-10000 पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14) के रिक्त पद के सापेक्ष उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रम सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	डा0 रेखा रानी	7355
2	डा0 सरोज कुमार	7445
3	डा0 सुशील प्रकाश	7565
4	डा0 रंजना खरे	7597

1	2	3
5	डा0 कल्पना चन्देल	7602
6	डा0 संगीता गुप्ता	7606
7	डा0 शुभा मिश्रा	7608
8	डा0 सीमा श्रीवास्तव	7610

2– उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग–3

तैनाती

25 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1/805016/2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (जनरल फिजीशियन) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)– उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)– ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)– चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)– एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)– मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3058/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	023430550000001	7	डा0 आशुतोष सिंह पुत्र श्री नाथूराम सिंह	जनरल फिजीशियन	UR/ GEN	प्रताप बहादुर ग्राम बड़ाकाला, बरा खुर्द रीवा, मध्यप्रदेश-486226	नाथूराम सिंह 463 ए1 बाघमबारी गद्दी अल्लापुर, प्रयागराज-211006	बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ
2	009157550000059	8	डा0 अंजली रावत पुत्री श्री अजय कुमार गुज्जर	जनरल फिजीशियन	UR/ SC/ FEM	संजीव कुमार ग्राम बरामतपुर, पो0-कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश-228101	वृन्दावन योजना-2 रायबरेली रोड टी0 सेक्टर-8 ए 266, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226029	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	007096550000008	15	डा0 सौरव गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता	जनरल फिजीशियन	UR/ GEN	आर0 225 गली नं0-3 आर0 ब्लाक, मोहन गार्डेन, पश्चिम दिल्ली-110059	आर0 225 गली नं0-3 आर0 ब्लाक, मोहन गार्डेन, पश्चिम दिल्ली-110059	जिला चिकित्सालय, मथुरा
4	009164550000060	17	डा0 अंकुर सचान पुत्र श्री अजीत सिंह सचान	जनरल फिजीशियन	UR/ OBC	डिफेंस कालोनी जार्जमऊ डी0-78 कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208010	डिफेंस कालोनी जार्जमऊ डी0-78 कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208010	जिला चिकित्सालय, उन्नाव

आज्ञा से,
शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग–1

पदोन्नति

26 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 2474/12-1-2024-110/2019–तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री श्रीदेव शर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-77) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री श्रीदेव शर्मा के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2475/12-1-2024-110/2019–तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री सत्यप्रकाश (ज्येष्ठता क्रमांक-103) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री सत्यप्रकाश के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2476/12-1-2024-110/2019–तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री योगेश प्रताप (ज्येष्ठता क्रमांक-104) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री योगेश प्रताप के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2477/12-1-2024-110/2019–तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री अरविन्द कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-109) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री अरविन्द कुमार के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2478/12-1-2024-110/2019–तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी डा0 रघुराज (ज्येष्ठता क्रमांक-115) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– डा0 रघुराज के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2479/12-1-2024-110/2019–तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री अखिलेश कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-117) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री अखिलेश कुमार के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2480/12-1-2024-110/2019—तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-118) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3— श्री शैलेन्द्र कुमार के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2481/12-1-2024-110/2019—तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'क' के उप कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री अनिल कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-119) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या -19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3— श्री अनिल कुमार के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

30 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 1857/12-1-24-111/2024—श्री वीरेन्द्र कुमार सिसौदिया, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-'क' पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-

22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री वीरेन्द्र कुमार सिसौदिया के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2493/12-1-24-110/2019–श्री दुर्विजय सिंह, (ज्येष्ठता क्रमांक-120) उप कृषि निदेशक, उ0प्र0 कृषि सेवा समूह- 'क' को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 35,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600/- मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2025 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री दुर्विजय सिंह के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

28 फरवरी, 2025 ई0

सं0 429/12-1-2025-111/2024–श्री सुरेश कुमार सिंह, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह- 'क' पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत करते हुये सचिव उपकार लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– उक्त आदेश दिनांक 01 मार्च, 2025 अथवा पदभार ग्रहण करने की तिथि, जो बाद में हो, से प्रभावी होगा।

सं0 430 / 12-1-2025-106 / 2021—उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-'क' संयुक्त कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी श्री जय प्रकाश (ज्येष्ठता क्रमांक-53) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अपर कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3— उक्त आदेश दिनांक 01 मार्च, 2025 अथवा पदभार ग्रहण करने की तिथि, जो बाद में हो, से प्रभावी होगा।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—2 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Administrative (E-I) Section

NOTICE

November 14, 2024

No. 15278/XC-27/2024/Admin.(E-I)–"The Allahabad High Court shall remain closed on Wednesday, November 20, 2024, (excluding Lucknow Bench of the Court) on account of Bye-Election of Vidhan Sabha-2024 under Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881 (Act No. 26 of 1881).

(*Sd*.) ILLEGIBLE,
By Order of the Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
[Establishment Section]
NOTIFICATION
March 24, 2025

No. 118--Sri Anuj Nigam (Emp. No. 3581), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby notionally promoted to the post of Private Secretary Grade-I, from the date of his Junior (in P.A. Cadre), namely, Ms. Pratima Agrahari, *i.e*., 01.09.2015 and his name is placed between the name (s) of Sri Sanjeev Ranjan (Emp. No. 3530) and Ms. Pratima Agrahari (Emp. No. 3533) in Private Secretary Grade-I cadre and Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II cadre. Consequences to follow accordingly.

By order of
Hon'ble The Chief Justice,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
[Establishment Section]
NOTIFICATION
March 24, 2025

No. 119--In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendments in "*The Allahabad High Court Officers and Staff* (*Conditions of Service and Conduct) Rules*, 1976" :-

THE ALLAHABAD HIGH COURT OFFICERS AND STAFF (CONDITIONS OF SERVICE AND CONDUCT) (AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and Commencement.-(1) These rules may be called "The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) (Amendment) Rules, 2025".

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definition.-In these rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976".

3. Substitution of Rule 23 of Part VII.-In the said rules, for the existing Rule 23 set out in column-1 below, the provision as set out in column-2 shall be substituted namely :

COLUMN-1			COLUMN-2		
Existing Provision			*Provisions as here by substituted*		
23. Reservation for Scheduled Castes, etc.- (i) Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections-In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U.P., Scheduled Tribes of U. P., Other Backward Classes of U. P. and Economically Weaker Sections of U.P. as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.-			**23. Reservation for Scheduled Castes, etc.-** (i) Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections-In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U.P., Scheduled Tribes of U. P., Other Backward Classes of U. P. and Economically Weaker Sections of U.P. as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.-		
(a)	In case of Scheduled Castes	21%	(a)	In case of Scheduled Castes	21%
(b)	In case of Scheduled Tribes	02%	(b)	In case of Scheduled Tribes	02%
(c)	In case of Other Backward Classes	27%	(c)	In case of Other Backward Classes	27%
(d)	In case of Economically Weaker Sections	10%	(d)	In case of Economically Weaker Sections	10%
(ii) Horizontal Reservation in favour of Women, Dependent of Freedom Fighters, Ex-servicemen and Physically Handicapped-			(ii) Horizontal Reservation in favour of Women, Dependent of Freedom Fighters, Ex-servicemen and Physically Handicapped-		
In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment for the purpose of implementation of horizontal reservation in favour of women, dependent of freedom fighters, physically handicapped and ex-servicemen, the following percentages shall apply-			In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment for the purpose of implementation of horizontal reservation in favour of women, dependent of freedom fighters, physically handicapped and ex-servicemen, the following percentages shall apply-		
(a)	Women	20%	(a)	Women	20%
(b)	D.F.F.	02%	(b)	D.F.F.	02%
(c)	Ex-servicemen	05%	(c)	Ex-servicemen	05%
(d)	Physically Handicapped	03%	(d)	Physically Handicapped	04%

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
Explanation:-- The expression dependent of freedom fighters, physically handicapped and ex-servicemen shall be as defined as under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and its subsequent amendments enacted from time to time.	**Explanation-I**:-- The expression dependent of freedom fighters and ex-servicemen shall be as defined under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and its subsequent amendments enacted from time to time. **Explanation-II**:-- The expression Physically Handicapped shall be as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and its subsequent amendments enacted from time to time.
Provided that reservation for direct recruitment for various categories of posts in the establishment shall be in accordance with the orders issued by the Chief Justice from time to time.	Provided that four percent of vacancies shall be reserved for the following persons with "benchmark disabilities", namely :- (i) One percent for the persons in the following category of disabilities under the category of 'Locomotor disability' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) :- (a) Locomotor disability of One Arm, One Leg and Both Legs ; (b) Leprosy cured person; (c) Dwarfism; (d) Acid attack victims; (ii) One percent for the persons with 'Low vision' under the category of 'Visual Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) ;

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
	(iii) One percent for the persons with 'hard of hearing' under the category of 'Hearing Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016); (iv) Remaining One percent for the persons mentioned in the above clauses (i), (ii) & (iii), on rotation basis. Explanation :-the roster points meant for the candidates with benchmark disabilities mentioned in clauses (d) and (e) of sub-section (1) of Section 34 of the said Central Act, shall be allotted to the candidates in categories (i) to (iii) mentioned above, in the same order. Provided further that reservation for direct recruitment for various categories of posts in the establishment shall be in accordance with the orders issued by the Chief Justice from time to time.

By order of
Hon'ble The Chief Justice,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[Establishment Section]

NOTIFICATION

March 24, 2025

No. 120--In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendments in "*The Allahabad High Court Private Secretaries (Conditions of Service) Rules*, 2001" :–

THE ALLAHABAD HIGH COURT PRIVATE SECRETARIES (CONDITIONS OF SERVICE) (AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and Commencement.-(1) These rules may be called "The Allahabad High Court Private Secretaries (Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2025".

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definition.-In these rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Allahabad High Court Private Secretaries (Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2001".

3. Substitution of Rule 4-A.-In the said rule, for the existing Rule 4-A set out in column-1 below, the provision as set out in column-2 shall be substituted namely :

COLUMN-1	**COLUMN-2**
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
4-A. Reservation for Scheduled Castes, etc.-(i) Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections-In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U.P., Scheduled Tribes of U.P., Other Backward Classes of U.P. and Economically Weaker Sections of U.P. as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.-	**4-A. Reservation for Scheduled Castes, etc.-**(i) Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections-In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U.P., Scheduled Tribes of U.P., Other Backward Classes of U.P. and Economically Weaker Sections of U.P. as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.-
(a) In case of Scheduled Castes 21%	(a) In case of Scheduled Castes 21%
(b) In case of Scheduled Tribes 02%	(b) In case of Scheduled Tribes 02%
(c) In case of Other Backward Classes 27%	(c) In case of Other Backward Classes 27%
(d) In case of Economically Weaker Sections 10%	(d) In case of Economically Weaker Sections 10%
(ii) Horizontal Reservation in favour of Women, Dependent of Freedom Fighters, Ex-servicemen and Physically Handicapped-	(ii) Horizontal Reservation in favour of Women, Dependent of Freedom Fighters, Ex-servicemen and Physically Handicapped-

COLUMN-1	**COLUMN-2**
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, for the purpose of implementation of horizontal reservation in favour of women, dependent of freedom fighters, physically handicapped and ex-servicemen, the following percentages shall apply-	In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, for the purpose of implementation of horizontal reservation in favour of women, dependent of freedom fighters, physically handicapped and ex-servicemen, the following percentages shall apply-
(a) Women 20%	(a) Women 20%
(b) D.F.F. 02%	(b) D.F.F. 02%
(c) Ex-servicemen 05%	(c) Ex-servicemen 05%
(d) Physically Handicapped 03%	(d) Physically Handicapped 04%
Explanation:--The expression dependent of freedom fighters, physically handicapped and ex-servicemen shall be as defined as under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and its subsequent amendments enacted from time to time.	**Explanation-I**:--The expression dependent of freedom fighters and ex-servicemen shall be as defined under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and its subsequent amendments enacted from time to time.
	Explanation-II :-- The expression Physically Handicapped shall be as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and its subsequent amendments enacted from time to time.
Provided that reservation for direct recruitment for various categories of posts in the establishment shall be in accordance with the orders issued by the Chief Justice from time to time.	Provided that four percent of vacancies shall be reserved for the following persons with "benchmark disabilities", namely :-
	(i) One percent for the persons in the following category of disabilities under the category of 'Locomotor disability' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) :-
	(a) Locomotor disability of One Arm, One Leg and Both Legs ;
	(b) Leprosy cured person;
	(c) Dwarfism;
	(d) Acid attack victims;

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
	(ii) One percent for the persons with 'Low vision' under the category of 'Visual Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016); (iii) One percent for the persons with 'hard of hearing' under the category of 'Hearing Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016); (iv) Remaining One percent for the persons mentioned in the above clauses (i), (ii) & (iii), on rotation basis. **Explanation** :- the roster points meant for the candidates with benchmark disabilities mentioned in clauses (d) and (e) of sub-section (1) of Section 34 of the said Central Act, shall be allotted to the candidates in categories (i) to (iii) mentioned above, in the same order. Provided further that reservation for direct recruitment for various categories of posts in the establishment shall be in accordance with the orders issued by the Chief Justice from time to time.

By order of
The Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[Establishment Section]

NOTIFICATION

March 24, 2025

No. 121--In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendments in "*The Allahabad High Court Computer Cadre Service Rules,* 2010" :-

THE ALLAHABAD HIGH COURT COMPUTER CADRE SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and Commencement.-(1) These rules may be called "The Allahabad High Court Computer Cadre Service (Amendment) Rules, 2025".

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definition.-In these rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Allahabad High Court Computer Cadre Service Rules, 2010".

3. Substitution of Rule 14.–In the said rule, for the existing Rule 14 set out in column-1 below, the provision as set out in column-2 shall be substituted namely :

COLUMN-1	**COLUMN-2**
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
14. Reservation: (1) There shall be reservation of 21% for the Scheduled Castes, 2% for the Scheduled Tribes and 27% for the Other Backward Classes and 10% for the Economically Weaker Sections (EWS) as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 on the vacant where selection is made through direct recruitment. (2) The High Court may provide any horizontal reservation on the aforesaid post. (3) In case for three consecutive selection suitable candidates are not available in the reserved category then the post may be filled by the general candidates.	**14. Reservation for Scheduled Castes, etc.-** (i) Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections-In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U.P., Scheduled Tribes of U.P., Other Backward Classes of U.P. and Economically Weaker Sections of U.P. as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
	(a) In case of Scheduled Castes 21% (b) In case of Scheduled Tribes 02% (c) In case of Other Backward Classes 27% (d) In case of Economically Weaker Sections 10%
	(ii) Horizontal Reservation in favour of Women, Dependent of Freedom Fighters, Ex-servicemen and Physically Handicapped- In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, for the purpose of implementation of horizontal reservation in favour of women, dependent of freedom fighters, physically handicapped and Ex-servicemen, the following percentages shall apply-
	(a) Women 20% (b) D.F.F. 02% (c) Ex-servicemen 05% (d) Physically Handicapped 04%
	Explanation-I :-- The expression dependent of freedom fighters and ex-servicemen shall be as defined under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and its subsequent amendments enacted from time to time. **Explanation-II** :-- The expression physically handicapped shall be as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and its subsequent amendments enacted from time to time. Provided that four percent of vacancies shall be reserved for the following persons with "benchmark disabilities", namely :-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Provision	*Provisions as here by substituted*
	(i) One percent for the persons in the following category of disabilities under the category of 'Locomotor disability' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) :- (a) Locomotor disability of One Arm, One Leg and Both Legs ; (b) Leprosy cured person; (c) Dwarfism; (d) Acid attack victims; (ii) One percent for the persons with 'Low vision' under the category of 'Visual Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016); (iii) One percent for the persons with 'hard of hearing' under the category of 'Hearing Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016); (iv) Remaining One percent for the persons mentioned in the above clauses (i), (ii) & (iii), on rotation basis. **Explanation** :-the roster points meant for the candidates with benchmark disabilities mentioned in clauses (d) and (e) of sub-section (1) of Section 34 of the said Central Act, shall be allotted to the candidates in catetgories (i) to (iii) mentioned above, in the same order. Provided further that reservation for direct recruitment for various categories of posts in the establishment shall be in accordance with the orders issued by the Chief Justice from time to time.

By order of
Hon'ble The Chief Justice,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[Establishment Section]

NOTIFICATION

March 26, 2025

No. 122--Under the orders dated 18.03.2025 of Hon'ble The Chief Justice, the following Ex-Additional Private Secretary (English) of this Hon'ble Court, is hereby confirmed on his post from the date, as mentioned against his name :-

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Confirmation
1	3841	Sri Vipul Pratap Gogal, *Lko*.	24.02.2024

RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

March 26, 2025

No. 123--Under the orders of Hon'ble The Chief Justice dated 18.03.2025, following Ex-Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad are hereby confirmed on the post of Review Officer from the date mentioned against their names :-

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Confirmation
		S./Sri.	
1	11275	Abhinav Pandey	06.08.2023
		(*Relieved w.e.f.* 09.08.2023 *A.N.)*	
2	11500	Shobhit Mishra	20.08.2023
		(*Relieved w.e.f.* 24.08.2023 *A.N.*)	
3	11815	Vishal	17.08.2023
		(*Relieved w.e.f.* 03.10.2023 *A.N.*)	

Above confirmation shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.

(*Sd*.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी, महराजगंज

अधिसूचना

19 मार्च, 2025 ई0

सं0 3222/आठ–उप–भू0अ0अ0/सं0सं0/महराजगंज/2025—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि सार्वजनिक प्रयोजन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली हेतु जनपद–महराजगंज, तहसील– नौतनवा, परगना–विनायकपुर, ग्राम–आराजी सरकार उर्फ केवटलिया व जुगौली में कुल 0.134 हे0 भूमि की आवश्यकता है ।

2–इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में पत्र संख्याः 2/आई0सी0पी0/सोनौली/ लैंड/2024/19 दिनांक 25 फरवरी, 2025 प्रस्तुत किया गया है। धारा–6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।

3–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षे0	भू-स्वामी/हितबद्ध ब्यक्तियों का नाम
					हेक्टेयर	
महराजगंज	नौतनवा	विनायकपुर	आराजी सरकार उर्फ केवटलिया	519मि	0.036	राजेश कुमार त्रिपाठी व आशीष त्रिपाठी पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद आदि
महराजगंज	नौतनवा	विनायकपुर	जुगौली	7	0.057	श्रीमती शैलेश नन्दनी जायसवाल पत्नी राधेश्याम, श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी अनिल, श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नी सुनील, श्रीमती किरन देवी पत्नी अजय कुमार, श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी राजकुमार, पुष्पा देवी पत्नी घनश्याम आदि
				13	0.041	कुल बहादुर श्रेष्ठ पुत्र भीम बहादुर श्रेष्ठ आदि
				योग . .	**0.134**	

5–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली निर्माण हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए कलेक्टर के प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

6–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

7–अधिनियम की धारा–11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
महराजगंज।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE MAHRAJGANJ

NOTIFICATION

March 19, 2025

No. 3222/VIII/Dy. L.A.O./J.O./Maharajganj--Under Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of appropriate Government) is of the opinion that a total of 0.134 hectare of land is required in District-Maharajganj, Tehsil-Nautanwa, Pargana-Vinayakpur, Village-Araji Sarkar *Urf* Kewtaliya and Jugauli for public purpose Integrated Check Post Sonauli.

2. Letter No. 2/I.C.P/Sonauli/Land/2024/19 dated 25.02.2025 has been submitted regarding environmental clearance in relation to Integrated Check Post Sonauli Project. It is proposed to acquire land by resorting to the provision of Section 6 (2).

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired	Name of land owners
1	2	3	4	5	6	7
					Hectare	
Mahrajganj	Nautanawa	Vinayakpur	Araji Sarkar *Urf* Kewtaliya	519 Mi	0.036	Rajesh Kumar Tripathi, Ashish Tripath S/o Rajendra Prasad, Others.
Mahrajganj	Nautanawa	Vinayakpur	Jugauli	7	0.057	Mrs. Shailesh Nandani Jaysawal W/o Radheshyam, Mrs. Manju Gupta W/o Anil, Mrs. Nilam Gupta W/o Sunil, Mrs Kiran Devi W/o Ajay Kumar, Mrs. Shakuntala Devi W/o Rajkumar, Pushpa Devi W/o Ghanshyam, Others.
				13	0.041	Kul Bahadur Shresth S/o Bhim Bahadur Shresth Others.
				Total . .	**0.134**	

5. Directs to take necessary steps for the purpose of land acquisition specified and provided under Section 12 of the Act and to authorize the Collector to survey the land and do all the necessary actions for construction of Integrated Check Post Sonauli for any land.

6. Under section 15 of the Act, no objection was received from any person interested is vested in the land within 60 days of the publication of the notification

7. Under Section 11(4) of the Act, no person shall, from the date of publication of the notification till the completion of the land acquisition proceedings, deal with the land specified in the preliminary notification, such as sell/purchase or create any encumbrance on the land, without the prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector,
Maharajganj.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

03 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 5142 / जी0-157 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हर्रैया परगना बस्ती पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम जैतापुर, तप्पा-अतरोह में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

08 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 5278 / जी0-154 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना उतरौला जनपद बलरामपुर के ग्राम जिगनाघाट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5279 / जी0-219 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील दातागंज परगना सलेमपुर जनपद बदायूं के ग्राम कटकौरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

10 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 5325 / जी0-172 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना आंवला जनपद बरेली के ग्राम ढका में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5326 / जी0-225 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खागा परगना हथगाम जनपद फतेहपुर के ग्राम खरगसेनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

21 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 5568/जी0-215/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील तिलहर परगना निगोही जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गिरगिचा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

23 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 5589/जी0-168/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम भगतपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5590/जी0-610/2023-24(5)—निदेशालय के पत्र संख्या-3963/जी0-610/2023-24 दिनांक 29 अगस्त, 2023 द्वारा जनपद कानपुर देहात के ग्राम-खेड़ाकुर्सी को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4(2) के अन्तर्गत प्रथम चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। ग्राम में प्रथम चक्र की चकबन्दी सन् 1985 में सम्पादित की जा चुकी है। ग्राम में द्वितीय चक्र की चकबन्दी की जानी है।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-3963/जी0-610/2023-24 दिनांक 29 अगस्त, 2023 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में ग्राम-खेड़ाकुर्सी परगना व तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात में प्रथम चक्र के स्थान पर द्वितीय चक्र पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

04 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 5749/जी0-236/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना परगना बढ़ापुर जनपद बिजनौर के ग्राम मौ0 पुर गढ़ी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5750/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सलोन जनपद रायबरेली के ग्राम माधौपुर निनैया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5751/जी0-34/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बरेली जनपद बरेली के ग्राम भगवानपुर धिमरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5752/जी0-236/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नगीना जनपद बिजनौर के ग्राम अब्दीपुर हरवंशपुर उर्फ ब्राहमणवाला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5753/जी0-15/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुसाफिरखाना

जनपद अमेठी के ग्राम गाजनपुर दुवरिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5754 / जी0-155 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां जनपद सीतापुर के ग्राम कमुवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5755 / जी0-15 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर जनपद अमेठी के ग्राम सौना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5756 / जी0-125 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना अमेठी जनपद अमेठी के ग्राम सरवनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5757 / जी0-157 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम बभनौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5758 / जी0-3 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कुलपहाड़ जनपद महोबा के ग्राम बगराजन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

(भानु चन्द्र गोस्वामी),
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–2 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

अधिनियम, 1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस

(भूमि अर्जन अनुभाग)

सूचना

07 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1705/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/1–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अधीन नोटिस के माध्यम से मऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु "गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मऊ" अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट ग्रामों के क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है–

उत्तर–खसरा संख्या-437, 272 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-37, 150 भाग, 148, 147, 202, 201, 200, 198, 195, 194, 188, 187, 278, 287, 289, 291, 282, 303 भाग, 300, 301 ग्राम-रेवरीडीह, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-379, 380, 384 ग्राम-डाड़ीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

पूरब–खसरा संख्या-352, 432 ग्राम-डाड़ीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

दक्षिण–खसरा संख्या-4, 3, 1 ग्राम-डोड़ापुर, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-240 भाग, 214, 203 भाग, 202 भाग, 174, 177, 89 भाग, 88 भाग, 63, 62, 54, 53, 51 भाग, 52, 40, 41, 47, 42/241, 42, 43, 56 ग्राम-मेघई मु0 शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-274, 272, 271, 270, 268, 267, 255, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 226, 196, 195 भाग, ग्राम-मुहम्मदपुर मु0 शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा सं0-1139 भाग, 1122, 1123, 1124 भाग, 1125 भाग, 1127, 1134, 1135, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 594, 593, 592, 590, 588, 587, 575 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

पश्चिम– खसरा सं0-561 भाग, 411, 409, 405, 404, 398 भाग, 394, 392, 391, 390 भाग, 384, 380, 379, 373 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन सं0-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट शुल्क/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन सं0-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISAD

[Land Acquisition Section]

February 07, 2025

[Notice Under Section-28 of The Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965,

U. P. Act. No.-1, 1966]

NOTICE

No. 1705/L.A.C./H.Q./1–Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "Gorakhpur Marg Bhumi Vikas Evam Grihasthan Yojana, Mau" to solve the housing problem of the Mau City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:

North– Khasra no. 437, 272 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 37, 150 Part, 148, 147, 202, 201, 200, 198, 195, 194, 188, 187, 278, 287, 289, 291, 282, 303 Part, 300, 301 Village-Revridih, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 379, 380 and 384 Village-Dandikhas, Pargana- Ghosi, Tehsil- Maunath Bhanjan, District-Mau.

East–Khasra no. 352 and 432 Village-Dandikhas, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

South– Khasra no. 4, 3, 1 Village-Dodapur, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 240 Part, 214, 203 Part, 202 Part, 174, 177, 89 Part, 88 Part, 63, 62, 54, 53, 51 Part, 52, 40, 41, 47, 42/241, 42, 43, 56 Village-Meghai Mu. Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 274, 272, 271, 270, 268, 267, 255, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 226, 196, 195 Part Village-Muhammadpur Mu. Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra No. 1139 Part, 1122, 1123, 1124 Part, 1125 Part, 1127, 1134, 1135, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 594, 593, 592, 590, 588, 587 and 575 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

West– Khasra no. 561 Part, 411, 409, 405, 404, 398 Part, 394, 392, 391, 390 Part, 384, 380, 379, 373 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

The details of Land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg. Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-03, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, House No.-85, First Floor, Brahmsthan, Azamgarh on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-03, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, House No.- 85, First Floor, Brahmsthan, Azamgarh within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing of the due date, no objection shall be entertained. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the land/building/Village Name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

प्रशासन अनुभाग

सूचना

02 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 682/प्रशा0–एक–उ0प्र आवास एवं विकास परिषद के अधिनियम–1965 की धारा–95 की उपधारा–(1) के खण्ड–(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद के सहायक वास्तुविद् नियोजक एवं वास्तुविद् सहायक में प्रवृत्त विनियमावली में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :

सहायक वास्तुविद् नियोजक

(उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् सहायक वास्तुविद् नियोजक सेवा नियमावली, 1979)

क्र0 सं0	वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1	2	3
1	भाग–4 विनियम–9 (आयु)	
	भाग–4 विनियम–9 (I) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु उस वर्ष पहली जनवरी को जिसमें चयन के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाये, 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	भाग–4 विनियम–9 (I) "सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष पद विज्ञापित की जाये उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जो समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

1	2	3
	(1) परन्तु परिषद के कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु ही रहेगी, पांच वर्ष अधिक होगी और परिषद तथा राज्य सरकार के छटनीशुदा कर्मचारियों की दशा में आयु की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। नियुक्ति प्राधिकारी विशेष प्रविधिक ज्ञान तथा व्यवसायिक अनुभव रखने वाले किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ष के पक्ष में आयु शिथिल कर सकता है। 2–भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों के आयु विनियम–5 के उप–नियम(1) के (2) के अभ्यर्थी के अनुसार, उस वर्ष में पहली जनवरी को जिसमें रिक्त पद घोषणा की जाये, 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी या यदि वह पहले से ही सेवा में सामान रूप से कार्य कर रहा हो, व उसे उस दिनांक पर आयु जब से वह इस तरह से स्थानापन्न रूप में निरन्तर कार्य कर रहा हो, 45 वर्ष से कम होगी। परन्तु यह कि परिषद, ऐसी नोटिस देने के पश्चात जो न्यायपूर्ण, साम्यपूर्ण प्रतीत हो, पदोन्नति के लिए सभी या किसी अनुपात में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में इस नियम में विहित आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है।	
2	भाग–4 विनियम–10 शैक्षिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अर्हताऐं सम्यक ज्ञान होने के साथ-साथ निम्नलिखित अर्हताऐं अवश्य होः– तथा (1) अनिवार्य अनुभव (क) वास्तुविद् के डिग्री या समकक्ष अर्हता। (ख) नगर तथा ग्राम नियोजन/आवासिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा या इसके समकक्ष अर्हता। या वास्तुकला, नगर नियोजन अथवा आवासिकी क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	भाग–4 विनियम–10 शैक्षिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अर्हताऐं सम्यक ज्ञान होने के साथ-साथ निम्नलिखित अर्हताऐं अवश्य होः– तथा (1) अनिवार्य अनुभव (क) वास्तुविद् के डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता (समकक्षता का निर्धारण परिशिष्ट Q(ii) के अनुसार)। या (ख) नगर तथा ग्राम नियोजन/आवासिकी में डिग्री/डिप्लोमा या इसके समकक्ष अर्हता। (समकक्षता का निर्धारण परिशिष्ट Q(i) के अनुसार)।

1	2	3
	या	या
	आवासिकी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और वास्तुकला नगर नियोजन अथवा आवासिकी में एक वर्ष का अनुभव।	वास्तुकला, नगर नियोजन अथवा आवासिकी क्षेत्र में संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर तीन वर्ष का अनुभव।
	(2) अतिरिक्त	या
	(क) वांछनीय आवासिकी का अनुभव।	आवासिकी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और वास्तुकला नगर नियोजन अथवा आवासिकी में संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर एक वर्ष का अनुभव।
		(2) अतिरिक्त
		(क) वांछनीय आवासिकी का संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुभव।

वास्तुविद् सहायक

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वास्तुविद् सहायक, सेवानियमावली, 1998)

क्र0 सं0	वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1	2	3
1	वास्तुविद सहायक (आयु)	
	भाग–4 के विनियम–9– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु उस वर्ष पहली जनवरी को जिसमें चयन के लिए प्रार्थना-पत्र आंमत्रित किये जाये 18 वर्ष से कम तथा 32 वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–	भाग–4 के विनियम–9–"सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष पद विज्ञापित की जाये उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जो समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।
	(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और यथा-अधिसूचित ऐसी ही अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामलें में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी की शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों में निर्दिष्ट की जाये। परिषद तथा राज्य सरकार से छटनीशुदा कर्मचारियों की दशा में आयु की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। नियुक्ति प्राधिकारी विशेष प्रविधिक ज्ञान तथा व्यवसायिक अनुभव रखने वाले किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ष के पक्ष में आयु सीमा को शिथिल कर सकता है। यदि वह इसे न्यायपूर्ण व्यवहार के हित में अथवा परिषद के हित में आवश्यक समझता हो।	

2–अत: मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सहायक वास्तुविद् नियोजक सेवा नियमावली, 1979 एवं वास्तुविद् सहायक सेवा नियमावली, 1998 में उल्लिखित संशोधन के फसस्वरुप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

APPENDIX-Q (i)

सहायक वास्तुविद् नियोजक के समकक्ष अर्हता में निम्नलिखित समकक्षता है :–

1. Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Regional or Transport or Environment Planning from a recognized University or Institute

2. Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning from a recognized University or Institute with two years of experience in the field of Urban Planning in the Central/State Government or local Urban Authorities, *etc*.

एवं

APPENDIX-Q(ii)

सहायक वास्तुविद् पद हेतु निहित शैक्षिक योग्यता के समकक्ष अर्हता निम्नवत् है :–

1. Bachelor Degree in Architecture awarded by Indian Universities established by an Act of the Central or State Legislature.

2. National Diploma (formerly All India Diploma) in Architecture awarded by the All India Council for Technical Education.

3. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch.) awarded by the Indian Institute of Technology, Kharagpur.

4. Five-Year full-time diploma in Architecture of the Sir J. J. School of Art, Bombay, awarded after 1941.

5. Diploma in Architecture' awarded by the State Board of Technical Education and Training of the Government of Andhra Pradesh with effect from 1960 (for the students trained at the Government College of Arts and Architecture, Hyderabad). .

6. Diploma in Architecture awarded by the Government College of Arts and Architecture, Hyderabad till 1959, subject to the condition that the candidates concerned have subsequently passed a special final examination in architecture held by the State Board of Technical Education, Andhra Pradesh and obtained a special certificate.

7. Diploma in Architecture awarded by the University of Nagpur with effect from 1965 to the students trained at the Government Polytechnic, Nagpur.

8. Government Diploma in Architecture awarded by the Government of Maharashtra (or the former Government of Bombay).

9. Diploma in Architecture of Kalabhavan Technical Institute, Baroda.

10. Diploma in Architecture awarded by the School of Architecture, Ahmedabad.

11. Membership of the Indian Institute of Architects.

12. Diploma in Architecture awarded by the University of Nagpur during the period 1962-1964.

13. Bachelor Degree in Architecture awarded by the School of Planning and Architecture, New Delhi (an Institution deemed to be a University) with effect from 3-12-1979.

14. Diploma in Architecture awarded by the Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT), Ahmedabad, with effect from 16-10-1980.

15. Diploma in Architecture awarded by the Institute of Environment Design with effect from 1985 to the students trained at the D.C. Patel School of Architecture, Vallabh Vidya Nagar (Gujarat).

16. 5 years Diploma in Architecture awarded by the Sushant School of Art and Architecture, Gurgaon (Haryana) with effect from 1-6-1994 to the students trained ·at the Sushant School of Art and Architecture, Gurgaon (Haryana)".

17. 5 years Diploma in Architecture awarded by the TVB School of Habitat Studies, Sector-D, Vasant Kunj, New Delhi with effect from 1-8-1995 to the students trained at the TVB School of Habitat Studies, Sector-D. Vasant Kunj, New Delhi.

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

कार्यालय, नगर पंचायत नानौता, सहारनपुर

25 मार्च, 2025 ई0

सं0 933/न0पं0ना0-उपविधि/2024-25–शासनादेश संख्या 406/नौ-9/1997-95 जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी, 1997 के प्रस्तर-6 में पारित आदेश के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916(2) संशोधन 1994 की धारा 298 सूची-1ञ-प्रकीर्ण (घ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, नानौता की बोर्ड बैठक दिनांक 22 जून, 2024 के प्रस्ताव संख्या-3(1) के द्वारा **विद्युत पोल विनियमन तथा नियंत्रण नियमावली 2024, भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण नियमावली 2024 व बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली 2024** का प्रकाशन इस कार्यालय के पत्र संख्या-223/न0पं0ना0-उपविधि/2024-25 दिनांक 09 जुलाई, 2024 के द्वारा दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला व दैनिक जागरण में दिनांक 10 जुलाई, 2024 को प्रकाशित कराया गया है। इस उपविधि से जिस किसी संस्था/सरकारी विभाग तथा लोगों पर प्रभाव पड़ने वाले व्यक्तियों से विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर सुझाव/आपत्ति आमन्त्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किसी माध्यम सें प्राप्त हुआ। तदोउपरान्त उक्त उपविधि को लागू किये जाने के प्रस्ताव को नगर पंचायत नानौता, की मा0 सदन की बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2024 को रखा गया जिसे मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया। जो प्रकाशन के दिनांक से लागू होगा। उपविधि निम्नवत् है–

1– विद्युत विभाग द्वारा स्थापित विद्युत पोल विनियमन तथा नियंत्रण नियमावली 2024

उपविधि

1– संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, नानौता, के सीमा अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित विद्युत पोल पर किराया (शुल्क/फीस) निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण नियमावली (उपविधि) 2024 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा सरकारी गजट-प्रकाशन में प्रकाशित किये जाने की तिथि से लागू होंगी।

2– परिभाषाएं– जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है।

(ख) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य नगर पंचायत, नानौता से हैं।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत, नानौता के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्था से है।

(घ) ''अध्यक्ष-प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पंचायत, नानौता के अध्यक्ष-प्रशासक से है।

(ण) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, नानौता के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) ''कर अधीक्षक/कर निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत, नानौता के कर अधीक्षक/कर निरीक्षक से है।

(छ) ''किराया (शुल्क/फीस)'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित किराया (शुल्क/फीस) से है।

(ज) ''विद्युत पोल'' का तात्पर्य विद्युत विभाग द्वारा नगर पालिका नानौता की सीमा के अंदर स्थापित ट्रांसफारमर्स/सब-स्टेशन से है।

3– नगर पंचायत, नानौता द्वारा केवल उन्हीं विद्युत पोल पर वार्षिक किराया (शुल्क/फीस) अधिरोपित कर, विद्युत विभाग से वसूल करेगी अथवा बिजली के बिल में उक्त धनराशि समायोजित करेगी, जो विद्युत पोल नगर पंचायत नानौता सीमा के अंदर स्थापित होंगे।

प्रतिबन्ध– यह सदा के लिये प्रतिबन्ध रहेगा, कि विद्युत विभाग द्वारा नगर पंचायत सीमा, अन्तर्गत नये विद्युत पोल की स्थापना, नगर पंचायत, नानौता को सूचित किये बिना नही करेगा।

4– नगर पंचायत नानौता, की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित विद्युत पोल पर वार्षिक किराया (शुल्क/फीस) प्रतिवर्ष, रु0 50 प्रति विद्युत पोल की दर से निर्धारित कर, वसूल या समायोजित करेगी।

5– माँग का भुगतान देय वित्त वर्ष मे जमा न करने की स्थिति मे 5% (प्रतिशत) अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जायेगा।

प्रतिबन्ध– यदि विद्युत पोल पर वार्षिक किराया मांग की धनराशि निदेशालय/शासन स्तर पर देय विद्युत बिलों मे समायोजित करने की कार्यवाही की जायेगी, तो मांग की धनराशि मे छूट तथा सरचार्ज प्रभावी नही होगा।

6– विद्युत पोल पर वार्षिक किराया (शुल्क/फीस) की दर निम्न प्रकार होगी।

क्र0 सं0	किराया (शुल्क/फीस) के मद का नाम	किराये की दर रुपये मे
01	विद्युत पोल	50 प्रति विद्युत पोल (प्रति वर्ष)

2– भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली 2024

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति– 1–यह उपनियमावली नगर पंचायत नानौता, सहारनपुर की भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

2–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होगें।

3–इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

4–''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, उपग्रह, अस्तवज, झादक (शेड), झोपड़ी या अन्य बाड़ा या ढॉचे से है, चाहे वह पक्की ईंट लकड़ी, मिट्टी, धातु या चाहे किसी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहे उसका उपयोग मनुष्य के रहने के लिये अथवा किसी अन्य कार्य के लिये किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, मकान की कुर्सी, जीना, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न न हो की चारदीवारी से भिन्न किसी आहते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य कोई परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नही है।

5–''नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्रॉफ्टमैन'' का अभिप्राय नगर पंचायत नानौता, सहारनपुर के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्र/नक्शा से है।

6–''व्यवसायिक निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार, उद्योग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हो।

7–जनोपयोगी सेवा के निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा, जिसमें वृद्धा आश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

8–शासकीय सम्पत्ति से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत ननौता, सहारनपुर की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय आदि के भवन से है।

9–''निवास गृह'' से तात्पर्य ऐसे भवनों से है जिनका उपयोग तीर्थ यात्रियों को ठहराने के लिय अथवा यात्रियों के आवास के लिए निर्मित हो , से है।

नियम व शर्तें– 1–आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 1-प्रथम तल 100 वर्ग मीटर तक रु0 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से, 101-200 वर्ग मीटर तक रु0 12 प्रति वर्ग मीटर तथा 200 वर्ग मीटर से ऊपर प्रत्येक वर्ग मीटर पर रु0 15 शुल्क देय होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुक्ल रु0 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

2–व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हाल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक काम्प्लैक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के लिए मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल की आच्छादित क्षेत्रफल पर प्रथम 100 वर्ग मीटर पर रु0 15 प्रति वर्ग मीटर, 101 वर्ग मीटर या इससे अधिक पर रु0 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लागू होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क रु0 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

3–औद्योगिक भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर रु0 50 प्रतिवर्ग मीटर की दर से देय शुल्क होगा।

4–शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ एवं जनोपयोगी सेवा के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर रु0 12 प्रति वर्ग मीटर तथा बेस मेन्ट रु0 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

(क) भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊॅचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिल भवन भूकम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।

(ख) निर्मित किये जाने वाले भवनों में 101-200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय जल संचयन हेतु सोकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। 201-300 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत कंकरीट रहित कच्चा छोड़ना होगा तथा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के लिये छतवर्षा, जल संचयन प्रणाली/रूफ रैन वाटर प्रणाली सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा।

(ग) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्धन या नियंत्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री) आदि हो उनमें संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था तथा दैनिक सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिये अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण पूर्व होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(ड) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं गिरजा घर आदि से 200 वर्ग मीटर अर्धव्यास में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नही किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी।

(च)– उपर्युक्त धार्मिक स्थल निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

5– स्वीकृति की अवधि– (क) पुनः वैधीकरण/स्वीकृत उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार एक बार केवल छः माह के लिये होगा, जिसके लिये प्रथम स्वीकृति शुल्क की 1/2 भाग धनराशि देय होगी। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण/स्वीकृति नही दी जायेगी तथा पुनः नोटिस दिया जायेगा।

(ख) यदि भवन स्वामी उक्त नियम 5(क) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व स्वीकृति को पुनः वैध नही कराता है, तो अवधि दिनांक से तीन माह तक पुनः वैधीकरण शुल्क के साथ रुपये 50 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तभी आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण शुल्क सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा।

(ग) भवन मानचित्र स्वीकृति की अवधि के दिनांक से छः माह की अवधि में ही पुनः वैधीकरण प्रभावी होगा।

6– नगर पंचायत ननौता के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।

7– प्रत्येक प्रकार की चार दीवारी के लिये प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिये रु0 100 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर या उसके भाग पर रुपये 50 की दर से शुल्क देय होगा।

8– संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 121-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों एवं परिसीमा के अधीन जो विहित की जायेगी किसी भवन, मार्ग या नाले के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेगी।

9– उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

10– नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत ननौता, के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।

11– मानचित्रकार/नक्शा नफीस के सम्बन्ध में– (क)– नगर पंचायत द्वारा एक मानचित्रकार/नक्शा नफीस प्रत्येक वर्ष मानचित्र निर्माण हेतु रखा जायेगा। मानचित्र का लाइसेन्स प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पूर्व माह फरवरी, या मार्च, में आगामी वर्ष के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(ख) मानचित्रकार के लाइसेन्स स्वीकृति होने के नियम व शर्तें नगर पंचायत, कार्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ग) प्रत्येक मानचित्र के आवेदन का शुल्क 100 वर्ग मीटर तक रु0 500 प्रति मानचित्र तथा 100 वर्ग मीटर से अधिक रु0 800 प्रति मानचित्र पर देय होगा। जिसका भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जायेगा और शुल्क प्राप्ति की रसीद मानचित्रकार द्वारा आवेदन कर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी। जिसकी सूचना मानचित्रकार नगर पंचायत कार्यालय को देगा।

(घ) मानचित्रकार का लोइसेन्स शुल्क रु0 5,000 वार्षिक होगा।

(ड) निकाय बोर्ड द्वारा 2 तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र बनाने के शुल्क एवं मानचित्रकार के लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि की जा सकती है लेकिन इन शुल्कों में किसी भी स्थिति में कटौती/कमी नही की जा सकती है।

12– व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13– नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कालोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नही होगा, तथा प्रत्येक कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का रु0 2 प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क देय होगा। व्यवसायिक आवेदन मानचित्र शुल्क रु0 1,000.00 होगा।

(क) कालोनी की सड़के कम से कम 3 मीटर चौड़ी होगी तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड़ कम से कम 6 मीटर चौड़ी होगी।

(ख) कालोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ग) कालोनी की सड़क पक्की करने की जिम्मेदारी भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

(घ) कालोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

(ड़) कालोनी में पार्क आदि का निर्माण करना होगा।

(च) यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी।

(छ) कालोनी में जल पूर्ति के लिये पाईप लाइन व बिजली की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ज) कालोनी स्वीकृत कराने वाले को कालोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात पूर्णतया का प्रमाण- पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा इसके पश्चात उक्त कालोनी नगर पंचायत के प्रबन्धन में जायेगी और कालोनी में गृह कर/जल कर आदि देय प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत का होगा, तथा कालोनी में विभिन्न सुविधाओं एवं उसके रख-रखाव का उत्तरदायित्व नगर पंचायत की होगी।

(झ) जहॉ पर निर्माण सम्बन्धी नियम स्पष्ट नही, वहॉ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के प्राविधान लागू होगें।

14– किसी भी मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं शपथ-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

15– मानचित्र स्वीकृति होने के पश्चात यदि भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/सार्वजनिक पायी जाती है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

16– भवन निर्माण के सम्बन्ध में नगर पालिका अधिनियम में दिये प्राविधान एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश इस उपनियमावली पर प्रभावी होगें।

17– भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण करते समय नगर पंचायत कार्यालय द्वारा समय -समय पर उसका निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा और निरीक्षण के उपरान्त नगर पंचायत, कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

18– कोई भी व्यक्ति यदि अपने मकान के सामने आगे आने के लिये गली/सड़क की नाली व नाला छापना चाहेगा उसकी भी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

19– भवन सम्बन्धी पत्रावली 5 वर्ष तक रखी जायेगी। समय व्यतीत होने पर नष्ट कर दी जायेगी।

20– मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण पूर्ण होने पर स्वामी द्वारा नगर पंचायत, कार्यालय से भवन निमार्ण पूर्ण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

21– बोर्ड अपने 2 तिहाई सदस्यों की स्वीकृति अथवा अधिशासी अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की स्वीकृति से उपनियमावली से किसी भी धारा में परिवर्तित कर सकता है या कोई नई धारा जोड़ सकता है जो उपनियमावली पर प्रभावी समझी जायेगी। लेकिन उपनियमावली में वर्णित किसी शुल्क में कोई कमी नही की जा सकती है।

दण्ड–अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा, लेकिन प्रतिबन्ध यह कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नफीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को समझौता शुल्क रु0 500.00 से लेकर नियमित कर सकेगा लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क रु0 1,000.00 लिया जायेगा।

3–बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली 2024

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति– 1– यह उपनियम नगर पंचायत नानौता, सहारनपुर बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली कहलायेगी, जो नगर पंचायत नानौता, के अधिसूचित क्षेत्र एवं संक्रमित क्षेत्र में राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

2– नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की सहमति से इस नियमावली के नियम व शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है जो नियमावली पर प्रभावी होगा लेकिन नियमावली के प्रभाव क्षेत्र में कमी करने एवं शुल्क में कमी करने का कोई भी स्वीकृत प्रस्ताव/ सहमति नियमावली पर प्रभावी नही होगा।

3– नियमावली के नियम व शर्तों को क्रियान्यवित कराने का दायित्व नगर पंचायत कार्यालय पर होगा।

4– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 मे दिये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

5– इस नियमावली के लागू होने के बाद इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेगें।

नियम व शर्तें–1– नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अथवा संक्रमित क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी कम्पनी/फर्म अपने विज्ञापन के द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, वाल पेन्टिंग, बैनर, कटआउट, विज्ञापन पर बोर्ड पोस्टर, हैण्ड बिल लगायेगा उसे नगर पंचायत से या नगर पंचायत द्वारा नामित ठेकेदार से अनुमति लेकर ही लगाना होगा और उसका भुगतान नगर पंचायत को सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित शुल्क अदा कराना होगा।

2– विज्ञापनदाता विज्ञापन का प्रचार-प्रसार ऐसे स्थानों को करेंगें ताकि कम्पनी, के प्रचार-प्रसार से मर्ज स्थान ऐतिहासिक स्थल की सूचना पर या अन्य किसी कम्पनी के प्रचार-प्रसार हेतु लगाये गये धारा (21) में प्रकाशित ग्लोसाईन आदि का विलुप्तिकरण न हो।

3– विज्ञापनदाता अपने आवेदन में एक सप्ताह पूर्व विज्ञापन का साइज, प्रकार आकार एवं समय सहित देगा तथा उपविधि में वर्णित शुल्क जमा करेगा।

4– विज्ञापन की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता आवेदन करके विज्ञापन अवधि बढायेगा। यदि 30 दिन के अन्दर विज्ञापनदाता ऐसा नही करता है, जो उपनियम की धारा 2 में प्रकाशित ग्लोसाईन को नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा नामित ठेकेदार जब्त कर लेगा।

5– ग्लोसाईन बोर्ड आदि केवल सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर ही लगाये जायेगें। भले ही स्थान नगर पंचायत की सीमा के अन्दर किसी भी अन्य विभाग के हों।

6– नगर पंचायत प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मार्च, के माह में विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु एक वर्ष के लिए ठेका उठायेगी और ठेका सीलबन्द निविदा/कोटेशन पर उठाया जायेगा।

7– ठेका प्राप्तकर्ता ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा ठेके का समस्त धन एक मुश्त स्वीकृति की दिनांक के सात दिन के भीतर जमा करना होगा।

8– विज्ञापन शुल्क सरह–

(1) दुकानों के नाम साथ-साथ या स्वतन्त्र रूप से अन्य किसी चीज का ग्लोसाईन/साईनबोर्ड लगाकर लिए जा रहे विज्ञापन के रु0 50 प्रति फिट प्रतिवर्ष की दर से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी।

(2) वाल पेन्टिंग रु0 300 प्रति वर्ग फिट वार्षिक।

(3) बैनर 20 वर्ग फिट रु0 10.00 प्रतिदिन।

(4) साईनबोर्ड/ग्लोसाईन बोर्ड (केवल कम्पनीयों के लिए) रु0 50.00 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष।

(5) कट आउट विज्ञापन एक नग रु0 30.00 प्रति वर्ष ।

(6) बोर्ड पोस्टर रु0 400.00 प्रति सैकड़ा प्रति बार।

(7) पोस्टर हेड बिल रु0 200.00।

9– **शुल्क मुक्त सूची**–दुकानों के सूचक, राजकीय एवं शासकीय तथा राष्ट्रीय पर्वों पर लगाये गये विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन शुल्क से मुक्त होंगे।

दण्ड–दण्ड उपविधि का उल्लंघन उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेंगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

निरसन–यह उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय से संबधित पूर्व मे प्रचलित उपविधि निरस्त हो जायेगी।

(रुमाना खान),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत नानौता
सहारनपुर

कार्यालय, नगर पंचायत बकेवर, इटावा

13 जनवरी, 2025

सं0 64/न0पं0 बकेवर-गजट/2024–25/25–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा-298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बकेवर, इटावा के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की भवन एवं सम्पत्ति गृहकर, जलकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली–2023'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा-301(1) के अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत बकेवर, के कार्यालय-पत्र संख्या–1040/न0प0बके0/2023 दिनांक 22 जून, 2023 के द्वारा उक्त उपविधि को अमर उजाला समाचार-पत्र के दिनांक–23 जून, 2023 समाचार-पत्र तथा राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगर पंचायत बकेवर, कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नही कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की विविध उपविधि नियमावली 2023'' को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भवन एवं सम्पत्ति गृहकर, जलकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली–2023

शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक–27 अक्टूबर 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा जो नगर पंचायत पर प्रवृत है के अन्तर्गत नगर पंचायत बकेवर, में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1–शीर्षक– यह नियमावली ''भवन एवं सम्पत्ति गृहकर, जलकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली– 2023'' कहलायेगी।

2–प्रकृति– यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत बकेवर, इटावा की सीमा में प्रभावी होगी।

परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद इटावा, के बोर्ड/समिति से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड़) ''नगर पंचायत बकेवर'' से तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से है।

(च) ''नगर पंचायत बकेवर की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में सीमा विस्तार के कारण बढ़ने वाली क्षेत्र में प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''भवन/भू-खण्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा में स्थित भवनों/गृहों/भू-खण्डों आदि से होगा अर्थात् वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित है, तो इसे परिसर के सभी भवनों को भूमि सहित भवन कहा जायेगा।

(ज) ''कर अधीक्षक/कर निरीक्षक/टैक्स कलेक्टर/कर समार्हता/लिपिक'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के कर अधीक्षक/कर निरीक्षक/टैक्स कलेक्टर/कर समार्हता/लिपिक से है।

स्वकर उपविधि के महत्वपूर्ण प्रावधान– इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन/भू-खण्ड स्वामी के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी भवन/भू-खण्ड स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण

स्वयं कर सकता है अर्थात वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, जमा कर सकता है। वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन व भूमि का स्वामी या अध्यासी उस दिनांक तक उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मी या कर्मियों के समूह के द्वारा इस नियमावली में विहित रीति के अनुसार प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

• यदि कोई व्यक्ति किसी भी भवन/भू-खण्ड को अथवा उसके आशिंक भाग को पंजीकृत विलेख या अन्य माध्यमों से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित करता है तो विलेख निष्पादन की तिथि अथवा कारण तिथि से 90 दिन के अन्दर गृहणकर्ता (क्रेता) द्वारा अपना नाम नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज/अकित करायेगा। ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के आधार पर रु0 1,000 प्रति वर्ष की दर से गणना कर बिलम्ब शुल्क जमा करने पर नामान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। विशेष परिस्थयों में उपरोक्त बिलम्ब शुल्क में युक्त-युक्त कारण होने पर सहानभूति पूर्वक विचार करते हुए बिलम्ब शुल्क में आशिंक कमी या पूर्ण रूप से मॉफ करने की शक्ति अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बकेवर, में अन्तर्निहित होगी।

• अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में विभिन्न समूहों के मासिक किराये के प्रति वर्ग फुट की दरें संशोधित की जायेगी, तथा यदि संशोधन न हो तो प्रचलित दरों में प्रत्येक दो वर्ष में 10 प्रतिशत दरें स्वतः बढ़ जायेंगी। अधिशासी अधिकारी के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र व उसके भाग में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करायी जायेगी। अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जो तिथि नियत की जायेगी उस समय सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि/भवन के स्वामी या अध्यासी को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु विहित प्रक्रियानुसार विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रपत्र में दर्शाई गयी कोई सूचना/विवरण मिथ्या पाये जाने पर या किसी तथ्य को छिपाने पर आवेदक रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र के न्यूनतम अर्थदण्ड का भागीदार होगा।

• जब किसी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो, इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-क में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा सम्बन्धित को किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी। जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता है जो उसके तीन सप्ताह के भीतर यथास्थिति भवन/भू-स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र में विवरण भरकर जमा करना अनिवार्य होगा।

• तामीला में अन्य कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1916 की विभिन्न धाराओं में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। कर अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष एक किस्त में 01 अप्रैल से देय होगा। इच्छुक व्यक्ति कर की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से जमा कर सकते है। अग्रिम रूप में जमा की गयी धनराशि अथवा करों सम्बन्धी किसी विवाद के निस्तारण के पश्चात् अधिक जमा धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी, अपितु उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

• मांग बिल का पूर्ण भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर करना होगा, जिसमें समयसीमा के अन्तर्गत भुगतान करने पर नियमानुसार विशेष छूट/प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। यह भी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निकाय द्वारा तैयार होने वाली गृहकर/जलकर (जलमूल्य) की वार्षिक डिमांड के क्रम में तैयार देयक बिल का वितरण विभागीय कारणों से निर्धारित समय के अन्तर्गत न हाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि उपविधि में उल्लिखित गृहकर/जलकर (जलमूल्य) की वसूली हेतु निर्धारित त्रिमासिक छूट की अवधि में नियमानुसार समय वृद्वि कर सके। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च तक) करों का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष की गृहकर/जलकर (जलमूल्य) की चालू मांग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि के साथ अगले वर्ष के डिमाण्ड के साथ देय होगा, जो आगमी वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, से लागू होगी।

सम्पत्ति कर के वार्षिक शुल्क निर्धारण की रीति एवं दरें– किसी भी भवन/भूखण्ड के सम्म्पत्ति कर की दर का तात्पर्य गृहकर/जलकर(जलमूल्य)/सीवरकर के वार्षिक शुल्क से है जिसका निर्धारण भवन/भूखण्ड के आच्छादित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) एवं अनाच्छाादित क्षेत्र (नॉन कवर्ड एरिया) में क्रमशः उपविधि में मार्ग की चौडाई के अनुरूप आच्छादित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) एवं अनाच्छाादित क्षेत्र (नॉन कवर्ड एरिया) में भवन/भूखण्ड की प्रकृति के अनुरूप उल्लिखित प्रतिवर्गफुट दर (रुपये में) से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली कुल धनराशि के योग से है। यहॉ यह

भी उल्लेखनीय है यदि किसी भवन /भूखण्ड के आंशिक/पूर्ण भाग में व्यसायिक गतिविधि संचालित होती है, उस भाग का सम्पत्ति कर नियमावली में उल्लिखित सामान्य दर से 05 गुना स्वतः हो जायेगी, जो गृहकर/जलकर(जलमूल्य) की वार्षिक डिमांड में आनुपातिक रूप से स्वतः जुड़ जायेगी। यह भी कि किसी भवन/भू. खण्ड कां आशिंक/पूर्ण भाग अध्यासन/किरायेदारी पर उठाया गया है तो अध्यासन/किरायेदारी अनुबन्ध नामा में उल्लिखित मासिक किराये की दर में वर्ष के 12 महीने का गुणा करने पर प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक मूल्य (ए0आर0वी0) का 10 प्रतिशत धनराशि सम्पत्तिकर गृहकर/जलकर (जलमूल्य) के रूप में मानते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया के अनुसार गृहकर/जलकर (जलमूल्य) की उपरोक्तानुसार निर्धारित दर में जुड़कर वार्षिक डिमांड की धनराशि निर्धारित करते हुए सम्बन्धित भवन/भूखण्ड स्वामी से निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत वसूल की जायेगी।

भवन/भूखण्ड के गृहकर/जलकर निर्धारण हेतु सभी वार्डो के आवासीय भवनों/भूखण्डों की प्रति वर्ग फुट दर (रुपये में)

क्र0 सं0	मोहल्ले का नाम	12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/भूखण्ड			12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/भूखण्ड			आवासीय भूखण्ड जिसमें मकान न बना हो।/खाली भूखण्ड
		आर0सी0सी0/आर0बी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	आर0सी0सी0/आर0बी छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सभी 12 वार्डो में	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30

जलकर/जलमूल्य की दरें– नगर पंचायत द्वारा स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत जलकर देय होगा। निर्धारित वार्षिक मूल्य, जलकर अधिरोपण अधिनियम की निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा तथा समय–समय पर शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। जलकर अधिरोपण हेतु नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के लिये विहित अर्द्धव्यास पेयजल पाईप लाईन से 200 मीटर तक निर्धारित होगा। निकाय द्वारा पेयजल आपूर्ति के बदले प्रतिमाह लिये जाने वाले जलमूल्य की दर रु0 50 प्रतिमाह/कनेक्शन अर्थात रु0 600 वार्षिक प्रति कनेक्शन होगी परन्तु जलापूर्ति का व्यासायिक उपयोग करने पर जलमूल्य रु0 100/– प्रतिमाह या रु0–1,200/– वार्षिक होगा। जल संयोजन हेतु स्वमित्व प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के पक्ष में अनुबंध-पत्र इत्यादि आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने पर जल संयोजन हेतु शुल्क रु0 1,500/– देय होगा। उसके साथ ही जल कनेक्शन कराने वाले व्यक्ति को जल कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री तथा रोड कटिंग की मरम्मत सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा स्वतः कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उपरोक्त रोड कटिंग के मरम्मत खर्च के साथ ही रु0 2,000 अतिरिक्त पेनॉल्टी के साथ वसूल किया जायेगा। नगर पंचायत सीमान्तर्गत कार्यालय द्वारा नियमित जल संयोजन लिये बिना अवैधानिक ढ़ग से सरकारी पेयजल पाईप लाईन में अवैध जल कनेक्शन ले लेने पर सम्बन्धित व्यक्ति/भवन स्वामी के ऊपर द्वारा रु0 5,000/– तक अर्थ दण्ड आरोपित किया जा सकता है तथा नवीन जल कनेक्शन हेतु वांछित अन्य औपचारिकता पूर्ण कराकर अपने अवैध जल कनेक्शन को नियमित कराना होगा। सबन्धित जलकर एवं जलमूल्य में से दोनों ही दरों में जो दर सर्वाधिक होगी उसी दर से संबन्धित भवन/भू-खण्ड स्वामी का जलकर एवं जलमूल्य की धनराशि मानते हुए निकाय को देय होगी। यह भी कि सम्बन्धित भवन/भू-खण्ड स्वामी के द्वारा इस उपविधि में उल्लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित समयान्तर्गत जलकर एवं जलमूल्य जमा करने पर गृहकर में मिलने वाली त्रिमासिक छूट के भॉति जलकर एवं जलमूल्य के भुगतान में भी छूट/बिलम्ब शुल्क अनुमन्य होगा।

डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्सन – नगर पंचायत बकेवर, के द्वारा स्वयं या अनुबंधित संस्था के होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू दर रु0 50 प्रति परिवार/प्रतिमाह, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से रु0 200 प्रति प्रतिष्ठान/प्रतिमाह, नगर क्षेत्र में संचालित गेस्ट हॉउस से रु0 500 प्रति गेस्ट हाउस/प्रति बुकिग एवं सभी बॅल्क वेस्ट जनरेटर (20

किलो0 से अधिक प्रतिदिन) से रु0 1,000 प्रतिमाह की दर से देय होगा। उपरोक्त देय धनराशि भवन स्वामी के द्वारा प्रतिमाह देय होगी परन्तु प्रतिमाह नही देने पर निकाय के द्वारा गृहकर या जलकर के वार्षिक डिमाण्ड बिल में सम्मिलित कर एक मुश्त वसूल किया जायेगा। यह भी कि संबन्धित भवन स्वामी के द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्सन हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में एक मुश्त जमा करने पर डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्सन चार्ज में भी गृहकर की भॉति मिलने वाली त्रिमासिक छूट एवं विलम्ब शुल्क अनुमन्य होगा।

पुनरीक्षण– कर निर्धारण सूची का विस्तृत पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में किया जायेगा तथा पुनरीक्षण के समय प्रत्येक भवन/भू-खण्ड स्वामी सूचना देने हेतु बाध्य होगा। किसी भवन/ भू-खण्ड स्वामी/अध्यासी या निवासी से कर निर्धारण सूची में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु कोई सूचना लिखित रूप से किसी अवधि में कर अधीक्षक/कर निरीक्षक/टैक्स कलेक्टर/करसमार्हता/लिपिक/अधिशासी अधिकारी के द्वारा मांगी जा सकती है, परन्तु यदि नगर पंचायत का कोई भवन/ भू-खण्ड स्वामी/अध्यासी या निवासी सूचना देने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देता है तो कर अधीक्षक या जैसी स्थिति हो की अख्यानुसार अधिशासी अधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकेगा।

कर मुक्त तथा छूट– नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के ऐसे भवन एवं भूमि जो नगर पंचायत के स्वयं के प्रयोग में होंगे, कर मुक्त रहेंगे। अनध्यासन/किरायेंदारी के कारण पूर्ण अथवा आंशिक छूट तभी प्रदान की जायेगी जब अनध्यासन/किरायेंदारी प्रारम्भ होने या समाप्त होने की सूचना लिखित रूप में नियमानुसार नगर पंचायत कार्यालय, को प्राप्त करायी गयी हो। यदि छूट प्राप्त भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा पुनः अध्यासन/किरायेंदारी की सूचना नहीं दी जाती हैं, तो दोष सिद्ध ठहराये जाने पर पुनः अध्यासन/ किरायेंदारी के दिनांक से निर्धारत देय कर की पॉच गुनी धनराशि या एक हजार रुपये दोनों में जो अधिक हो, का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा, परन्तु युक्त-युक्त कारण होने पर उसमें छूट दिया जाना अधिशासी अधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।

विशेष छूट/प्रोत्साहन एवं विलम्ब पर शुल्क– प्रत्येक भवन स्वामी को वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही (01 अप्रैल से 30 जून तक) में गृहकर/जलकर (जलमूल्य) जमा करनें पर संबन्धित को प्रोत्साहन हेतु केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के मॉग पर 10 (दस) प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी एवं द्वितीय तिमाही (1 जुलाई से 30 सितम्बर, तक) गृहकर/जलकर (जलमूल्य) जमा करनें पर सम्बन्धित को प्रोत्साहन हेतु केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के मॉग पर 05 (पांच) प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, परन्तु तृतीय तिमाही (1 अक्टूबर, से 31 दिसम्बर, तक) एवं चतुर्थ तिमाही (1 जनवरी, से 31 मार्च, तक) में गृहकर/जलकर (जलमूल्य) जमा करनें पर कोई छूट अनुमन्य नही होगी। प्रत्येक भवन स्वामी को वित्तीय वर्ष के समाप्ति (31 मार्च) के पश्चात अवषेष गृहकर/जलकर (जलमूल्य) पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त सरचार्ज/अधिभार शुल्क देय होगा। उक्त विलम्ब शुल्क प्रतिवर्ष की दर से अगले वर्ष के डिमाण्ड के साथ स्वतः जोड़कर वसूली की जायेगी।

• अधिशासी अधिकारी को यह भी अधिकार होगा सम्बन्धित भवन/भू-खण्ड स्वामी की चल/अचल सपत्ति की आनुपातिक नीलामी कराकर गृहकर, जलकर (जलमूल्य) एवं अन्य विविधि करों के अवशेष धनराशि की वसूली करायी जा सकती है तथा सम्बन्धित भवन/भूखण्ड स्वामी के बैंक में खुले खातों में जमा की गयी धनराशि से बकाये धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भॉति वसूली हेतु सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक को पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित बकायेदार के बैंक खाते में जमा धनराशि को सीज करा दें या बकाये के धनराशि को आनुपातिक रूप से समायोजन कर निकाय के खाते में जमा करा ले।

• सेवारत/सेवानिवृत सैन्य कर्मचारियों/बिकलॉगों/अन्धे व्यक्तियों इत्यादि के द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन के गृहकर/जलकर में छूट शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगें। इसी तरह पेट्रोल पम्पों जलकर/गृहकर शासनादेशो के अनुरूप परिवर्तनीय/अनुमन्य होंगे, तथा वर्तमान समय में उस परिसर में बनी सभी गैर आवासीय/व्यवसायिक भवनो का जलकर/गृहकर का निर्धारण सामान्य व्यावसायिक भवनों के अनुरूप किया जायेगा। यह भी कि किसी भी सरकारी भवन/भू-खण्ड, संचालित स्कूल, विद्यालय इत्यादि से भी प्रत्येक वर्ष निजी भवनों की भॉति वार्षिक डिमाण्ड बिल तैयार कराकर सम्बन्धित विभाग से गृहकर/जलकर (जलमूल्य) की वसूली हेतु प्रेषित की जायेगी। किसी भी सरकारी भवन/भू-खण्ड में छूट शासनादेशों में स्पष्ट प्रावधान होने पर ही अनुमन्य होगी।

नामान्तरण तथा करों में संशोधन की प्रक्रिया–यदि किसी भवन/भू-खण्ड पर कर निर्धारण आवश्यक हो गया हो तो उसकी लिखित सचूना (साक्ष्य सहित) निर्धारित प्रपत्र भरकर नगर पंचायत बकेवर, कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन/भू-खण्ड स्वामी के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी करारोपित भवन/भू-खण्ड के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के उत्तराधिकारियों का यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदकगण ही उपरोक्त सम्पत्ति के विधिक रूप से वास्तविक स्वामी हो, के द्वारा तीन मास (90 दिन) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म भरकर आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वसीयतनामा, बैनामा, न्यायालय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी के द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी। नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही किन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा। दाखिल-खारिज/नामान्तरण प्रार्थना-पत्र पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के द्वारा कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी तब तक आवेदक के द्वारा सम्बन्धित भवन का बकाया सम्पूर्ण करों का भुगतान न कर दिया जाय। प्रत्येक दशा में बकाया करों का भुगतान का दायित्व किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले का होगा। किसी भवन/भू-खण्ड के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व 30 दिन की नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त नामान्तरण हेतु विज्ञापन नोटिस को सम्बन्धित भवन/भू-खण्ड के स्वामी के द्वारा किसी एक स्थानीय समाचार-पत्र में स्वयं में खर्च पर प्रकाशित कराना होगा या निकाय द्वारा प्रति आवेदन रु0 2,000/– विज्ञापन प्रकाशन शुल्क निकाय में जमा करने पर प्रत्येक माह में नियमित अन्तराल पर नामान्तरण विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर निर्धारित 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर तथा उपरोक्त प्राप्त होने वाली आपित्तयों एवं सुझावों को नियमानुसार अधिशासी अधिकारी के द्वारा निस्तारण कर नामान्तरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। स्वामित्व/अध्यासन अथवा कर निर्धारण/कर संशोधन सम्बन्धी विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के द्वारा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय, किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई विपरीत आदेश होंगे तब तक प्रभावी रहेगा।

नामान्तरण/दाखिल-खरिज शुल्क– नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-147(1) के अन्तर्गत किये गये कोई भी नामान्तरण/दाखिल-खारिज, हेतु निर्धारित प्रारूप पर तैयार प्रार्थना-पत्र (आवेदन शुल्क रु0 1,000 प्रति आवेदन) नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा में स्वीकार किये जायेंगे। कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व के नामान्तरण/दाखिल-खारिज हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र पर वसीयत एवं वरासतन आधार पर प्रति प्रकरण रु0 2,000.00 नामान्तरण शुल्क एवं पंजीकृत बैनामा व हिबानामा के आधार पर नामान्तरण/दाखिल-खारिज हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रति प्रकरण पर उसमें उल्लिखित सरकारी मालियत या वास्तिवक प्रतिफल की धनराशि में जो धनराशि अधिक हो, का 01 प्रतिशत (एक प्रतिशत) नामान्तरण शुल्क देय होगा।

विलम्ब शुल्क/अधिभार– नामान्तरण/दाखिल-खारिज हेतु विहित तरीके से आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र तीन माह (90 दिन) के अन्दर प्रस्तुत कर देने पर कोई विलम्ब शुल्क नही लगेगा, परन्तु तीन माह (90 दिन) से अधिक समय बाद प्रस्तुत करनें पर प्रतिवर्ष रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) की दर से विलम्ब शुल्क प्रति प्रकरण देय होगा। विलम्ब शुल्क में छूट देने का अधिकार युक्त-युक्त कारण होने पर अधिशासी अधिकरी, नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा में अर्न्तनिहित होगा।

- प्रत्येक नामांतरण/दाखिल-खारिज के प्रकरण में दावा आपत्ति की न्यूनतम अवधि (30 दिन) के अन्दर आपत्ति, दाखिल करने का अधिकार सम्बन्धित प्रकरण से जुडे हितलाभी को होगा तथा उसे अपने आपत्ति प्रार्थना-पत्र के साथ ही प्रतिप्रकरण/प्रतिव्यक्ति की दर से रु0 1,000.00 (एक हजार) आपत्ति शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त अपत्ति शुल्क के साथ साक्ष्य सहित प्रस्तुत अपत्ति प्रार्थना-पत्र जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर उक्त आपत्ति शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार) सम्बन्धित आपत्तिकर्ता व्यक्ति के पक्ष में वापस कर दी जायेगी तथा यदि सम्बन्धित प्रकरण में प्रस्तुत की गयी आपत्ति, की विभागीय जांच/परीक्षण में सही नही पाये गये, तो उपरोक्त प्रकरण में आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आपत्ति प्रार्थना-पत्र के साथ जमा की गयी उपरोक्त आपत्ति शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार) विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

भूल सुधार– किसी बिल/कर निर्धारण सूची/डिमॉण्ड रजिस्टर/जारी की गयी नोटिस/काटी गयी रसीद पर त्रुटिपूर्ण अंकन का सुधार किसी भी समय भवन स्वामी/अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा।

नगर पंचायत बकेवर, इटावा में स्थित सम्पत्तियों का स्वकर निर्धारण प्रपत्र

फोटो

1. भवन निर्माण वर्ष..... वार्ड संख्या/मोहल्ला .....
2. भवन संख्या पूर्व..... भवन संख्या वर्तमान .....
3. भवन/भू-खण्ड /अध्यासी का नाम– .....
4. भवन/भू-खण्ड /अध्यासी के पिता/पति का नाम– .....
5. भवन/भू-खण्ड /अध्यासी का स्थाई पता– .....
6. भवन/भू-खण्ड /अध्यासी का अस्थाई/पत्राचार का पता– .....
7. भवन/भू-खण्ड पर निर्मित भवन का कुल आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) (अ़+ब+स़+द+य़+र) = ...

   (अ) तलघर (बेसमेंट) (वर्गफुट में) ..... (ब) भूतल (वर्गफुट में) ..... (स) प्रथमतल (वर्गफुट में) .....

   (द) द्वितीयतल (वर्गफुट में) ..... (य) तृतीय तल (वर्गफुट में) ..... (र) अन्य तल (वर्गफुट में) .....
8. आवासीय भू-खण्ड जिसमें मकान न बना हो/खाली भू-खण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग फुट):– .....
9. भवन के निर्माण की प्रकृतिः– (टिप्पणी–कृपया निम्न में जो भी सही हो उसमें (✓) सही का निशान लगायें)

   (अ) आर0सी0सी0 छत सहित अच्छा मकान ( ) (ब) अन्य पक्का भवन ( ) (स) कच्चा भवन ( )
10. भूमि/भवन कितने मी0 चौड़ाई वाले मार्ग पर अवस्थित हैः– (टिप्पणी– कृपया निम्न में जो भी सही हो उसमें (✓) सही का निशान लगायें)

    (अ) 12 मी0 से अधिक ( ) (ब) 12 मी0 से कम ( )
11. भवन/भू-खण्ड सम्बन्धित ब्यौरा (लम्बाई × चौड़ाई)–(अ़+ब)=

    (अ) स्व0–प्रयोग भवन का कुल कार्पेट एरिया (वर्ग फुट में) =

    (ब) भवन के व्यावसायिक भाग का कार्पेट एरिया(वर्ग फुट) =
12. भवन/भू–खण्ड का गृहकर :–(अ़+ब+स) =

    (अ) आच्छादित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) –(कुल क्षेत्रफल0 x प्रतिवर्गफुट की दर) गृहकर =

    (ब) अनाच्छादित क्षेत्र (नॉन कवर्ड एरिया) –(कुल क्षेत्रफल x प्रतिवर्गफुट की दर) गृहकर =

    (स) अध्यासन/किरायेदारी/व्यवसायिक भाग वाले क्षेत्र का गृहकर =
13. भवन/भू-खण्ड का जलकर :–(अ़+ब+स)= =

(अ) आच्छादित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) –(कुल क्षेत्रफल x प्रतिवर्गफुट की दर) जलकर =

(ब) अनाच्छादित क्षेत्र (नॉन कवर्ड एरिया) –(कुल क्षेत्रफल x प्रतिवर्गफुट की दर) जलकर =

(स) अध्यासन/किरायेंदारी/व्यवसायिक भाग वाले क्षेत्र का जलकर =

14. जलमूल्य प्रति कनेक्सन (रू0 50 प्रति माह प्रति कनेक्सन या रु0 600.00 वार्षिक प्रति कनेक्सन) =

नोट :– जलकर दो सौ मीटर अर्द्धव्यास की परिधि में पाइप लाइन होने पर देय होगा तथा जलकर एवं जलमूल्य में जो अधिक होगा वह देय होगा।

15. कुल योग :–	गृहकर (रु0 में)	जलकर (रु0 में)	जलमूल्य (रु0 में)	कुल योग (रु0 में)

16. स्वामी/अध्यासी द्वारा घोषणा–मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने उल्लिखित शर्तें एवं सूचनायें सवधानीपूर्वक पढ़ी है जो मुझे मान्य है मैने इस पत्र में दिये गये विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध जो भी निर्णय लिया जायेगा मुझे मान्य होगा।

स्वामी/अध्यासी के हस्ताक्षर.....

दिनांकः ..... स्वामी/अध्यासी का पूरा नाम.....

मोबाइल नं0:..... स्वामी/अध्यासी पूरा पता.....

भवन/भू-खण्ड के गृहकर/जलकर निर्धारण हेतु नगर के सभी वार्डों के आवासीय भवनों/भू-खण्डों की प्रति वर्ग फुट दर (रुपये में)

क्रम	मोहल्ले का नाम	12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/ भू-खण्ड			12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/ भू-खण्ड			आवासीय भू-खण्ड जिसमें मकान न बना हो।/खाली भू-खण्ड
		आर0सी0सी0/ आर0बी छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/ टीन शेड)	आर0सी0सी0/ आर0बी छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/ टीन शेड)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सभी 12 वार्डो में	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30

विभागीय कार्यवाही

सम्बन्धित टैक्स कलेक्टर/लिपिक की टिप्पणीः–.....

.....

हस्ताक्षर

टैक्स कलेक्टर/लिपिक

नगर पंचायत, बकेवर, जनपद, इटावा।

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत, बकेवर, जनपद, इटावा।

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) हेतु आवेदन-पत्र

रसीद सं0.....

आवेदन फार्म शुल्क 1,000 रुपये

(विज्ञापन प्रकाशन शुल्क 2,000 रुपये)

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत, बकेवर, जनपद, इटावा

विषयः भवन के नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रार्थी/प्रार्थिनी भवन/प्लाट संख्या.....स्थित मोहल्ला.....के सम्पूर्ण/जुज भाग पर निम्नलिखित कारण से अपने नाम नगर पंचायत, के अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता/चाहती है। उक्त भवन का अब तक का गृहकर पूरा जमा है। प्रार्थी/प्रार्थिनी उक्त भवन का निर्धारित नामान्तरण शुल्क नगर पंचायत, कोष में तत्काल जमा करने को तैयार है।

नामान्तरण का कारण	साक्ष्य
1–दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।	1– उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (खानदानी सजरा) शपथ-पत्र एवं
2–पंजीकृत विक्रयनामें के आधार पर वसीयत।	2– रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
3–वसीयत।	3– वसीयत की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
4–पंजीकृत दानपात्र (गिफ्ट् डीड)।	4– गिफ्ट् डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
5–पारिवारिक समझौते के आधार पर।	5– उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (खानदानी सजरा) पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
6–न्यायालय के आदेशानुसार।	6– न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
7–हिब्बानामे के आधार पर।	7. शपथ-पत्र संलग्न है।

अतः भवन संख्या.....स्थित मोहल्ला.....वार्ड नं0.....पर उपरोक्त में से टिक किये गये कारण के आधार पर दर्ज नाम.....को खारिज करके संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी/प्रार्थिनी.....का नाम दर्ज किया जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्य प्रार्थी/प्रार्थिनी की जानकारी में बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सत्यता एवं प्रमाणिकता का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी/प्रार्थिनी का होगा।

कृपया उपरोक्त नामान्तरण (दाखिल-खारिज) की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने भवन का गृहकर आदि अपने नाम से जमा कर सकें।

संलग्नक
दिनांक
फोन/मोबाइल नं0

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर
प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूरा नाम
पता–

विवेक यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बकेवर
जनपद, इटावा।

कार्यालय, नगर पंचायत बकेवर, इटावा

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा-298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बकेवर, इटावा के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगर पंचायत, बकेवर, इटावा की लाइसेन्स शुल्क उपविधि–2023'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा-301(1) के अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत, बकेवर, के कार्यालय-पत्र संख्या-1040/न0पं0बके0/2023 दिनांक 22 जून, 2023 के द्वारा उक्त उपविधि को अमर उजाला समाचार-पत्र के दिनांक–23 जून, 2023 समाचार-पत्र तथा राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगर पंचायत बकेवर, कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नही कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की लाइसेन्स शुल्क उपविधि–2023'' को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

लाइसेन्स शुल्क उपविधि– 2023

शासनादेश संख्या–2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/90 दिनांक– 27 अक्टूवर 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा जो नगर पंचायत, पर प्रवृत है के अन्तर्गत नगर पंचायत बकेवर, में लाइसेन्स शुल्क उपविधि– 2023 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1–संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और प्रारम्भ–

(क) यह नियमावली दुकानों एवं व्यवसायों को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी सीमान्तर्गत लाइसेन्स शुल्क उपविधि– 2023" कही जायेगी।

(ख) यह उपविधि सम्पूर्ण नगर पंचायत, बकेवर, जनपद-इटावा सीमान्तर्गत लागू होगी।

(ग) व्यवसायिक दुकान का तात्पर्य किसी एक से क्रय/विक्रय स्थल से है, जहां कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी उत्पादन का क्रय/विक्रय, स्वयं करता या करवाता है।

(घ) दुकानदारों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके स्वामित्व में किसी दुकान अथवा व्यवसाय का संचालन होता है।

2–परिभाषाएं–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद-इटावा से है।

(ग) "अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद-इटावा के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(घ) "अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद-इटावा के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

3–नियम– (क) नगर पंचायत बकेवर, जनपद-इटावा की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स प्राप्त किये कोई भी व्यवसाय अथवा दुकान का संचालन नहीं करेगा।

(ख) लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक दुकानदार लाइसेन्स हेतु निर्धारित धनराशि के साथ अपना प्रार्थना-पत्र कार्यालय नगर पंचायत बकेवर, जनपद-इटावा में जमा करेगा।

(ग) लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल, से 31 मार्च, तक होगी।

(घ) लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसके व्यवसाय तथा स्थान को नगर पंचायत, बकेवर जनपद-इटावा द्वारा जांच की जायेगी।

(ङ) लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर लोक अप्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये लाइसेन्स पत्र जारी करेगा अथवा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा अथवा नियमावली में दिये गये निर्देशों का पालन करने का निर्देश सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा और आवेदन पर समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(च) यह कि इस नियमावली में लाइसेन्स पत्र जारी करने के लिये अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होगा।

(छ) प्रत्येक दुकानदार को नगर पंचायत, बकेवर जनपद-इटावा द्वारा दिया गया लाइसेन्स पत्र दुकान में ऐसे स्थान पर लगाना होगा, जिसे अधिकारी/कर्मचारी, नगर पंचायत, बकेवर जनपद-इटावा के द्वारा निरीक्षण के समय सामान्य रूप से देखा जा सके, यदि सहज रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है तो उसे दुकानदार को तुरन्त दिखाना होगा।

(ज) यह कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित समय के अन्दर लाइसेन्स नगर पंचायत, बकेवर जनपद- इटावा से नहीं बनवाता है तो निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त रु0 1,000.00/– (एक हजार) प्रति वित्तीय वर्ष अर्थदण्ड देय होगा।

(झ) यह कि यदि दुकानदार वैध लाइसेन्स पत्र प्राप्त किये बिना दुकान का संचालन करता पाया जायेगा तो दुकानदार अथवा उसके अभिकर्ता या कर्मचारी के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा- 168 के अन्तर्गत लाइसेन्स शुल्क तथा अर्थदण्ड व वसूली हेतु व्ययों सहित धनराशि का मांग-पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(ञ) यह कि यदि मांग-पत्र में दिये गये समय के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भुगतान नगर पंचायत, बकेवर जनपद-इटावा कार्यालय में न किया गया तो नगर पालिका अधिनियम की धारा-1916 की धारा-169 के अन्तर्गत सम्बन्धित धनराशि की वसूली के बावत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(ट) यह कि यदि कोई दुकानदार अथवा व्यापारी की सम्पत्ति अधिग्रहीत की जायेगी और सम्बन्धित व्यक्ति देय धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-172 के अन्तर्गत अधिग्रहीत सम्पत्ति बेचकर देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

(ठ) यह कि देय धनराशि की वसूली हेतु दुकान अथवा व्यवसायी के स्वामी से वसूली किये जाने हेतु नगर पालिका अधिनियम की धारा-173–ए के अन्तर्गत वसूली की जायेगी, जिससे सम्बन्धित दुकानदार को संग्रह व्यय अतिरिक्त देना होगा।

(ड) यह कि यदि किसी दुकान का व्यवसाय अथवा दुकान का लाइसेन्स अवधि में समाप्त हो जाती है तो लाइसेन्स शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ढ) यह कि प्रत्येक दुकान को अलग-अलग व्यवसायों के अनुसार अलग-अलग लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, चाहे उक्त दुकानों पर एक ही भवन में क्यों न स्थित हो, यदि एक ही व्यक्ति की कई दुकाने एक ही व्यवसाय से सम्बन्धित कई स्थानों पर ही हैं तो उसका सभी का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

(ण) यह कि किसी भी दुकान के संचालन में लगे अभिकर्ता, कर्मचारी को संक्रामक रोग होने पर लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा और दुकान के स्वामी को ऐसे कर्मचारी हटाने का निर्देश दिया जायेगा।

(त) यह कि ऐसी दुकानों या व्यवसाय जहां खाद्य सामग्री का विक्रय या उपयोग किया जाता है, पुताई चूने से अथवा अन्य पेन्ट आदि से वर्ष में एक बार कराना अनिवार्य होगा।

(थ) नगर में खाद्य पदार्थों के उत्पादको, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं तथा हाकर्स को अनिवार्य रूप से लाइसेन्स लेना होगा। बिना लाइसेन्स से संचालित प्रतिष्ठान के विरूद्ध छापा मार कर नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(द) खाद्य पदार्थों के उत्पादन/विक्रय से सम्बन्धित प्रतिष्ठान/दुकानों के विरूद्ध गद्य अपमिश्रण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अभियान चला कर नमूना संग्रह किया जायेगा।

(ध) यह कि ऐसे स्थान जहां मिठाई आदि खाद्य सामग्री की बिक्री व उपयोग होता है, बैठने का स्थान व भवन स्वच्छ, हवादार, शीलन रहित होना चाहिये तथा दुकानदार को यह भी व्यवस्था करनी होगी कि दोने- पत्ते आदि निर्धारित स्थान पर एकत्र करवाने हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था करें।

(न) यह कि ऐसी दुकानें जहां बर्तनों का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है वहां गर्म पानी से उपयोग होने के पश्चात् किसी वाशिंग पाउडर से वर्तन धुले जाने चाहिये तथा खाद्य सामग्री रसायनिक रूप से उपयोग किये जाने वाले बर्तन जालीदार ढक्कन से बन्द होने चाहिये।

(प) कोई भी दुकानदार/होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा/हाकर्स वाला खुली तथा गन्दे स्थान पर खाद्य सामग्री न तैयार करें और न बेचें।

(फ) कोई भी दुकानदार/होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा/हाकर्स वाला बिना समुचित लाइसेन्स अपना कारोबार नही करेगा।

(ब) कोई भी दुकानदार/होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा/हाकर्स वाला अनहाईजेनिक दूषित खाद्य सामग्री न तैयार करें और न बेचें।

(भ) यह कि यदि दुकानदार/लाइसेन्स धारक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो लाइसेन्स को निलम्बित अथवा निरस्त किसी भी समय बिना कारण बताये किया जा सकता है।

(म) यह कि लाइसेन्स अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(र) यह कि विवादस्पद मामलों में विहित प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा, किन्तु निर्णय होनें तक लाइसेन्स शुल्क वार्षिक नियमित रूप से देय होगा।

लाइसेन्स शुल्क की दरें– (वार्षिक)– (1) होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/बारात घर रूपये 10,000.00/– (2) हाकर्स/होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट रूपये 3,000.00/– (3) बिल्डर्स/प्रापर्टी डीलर/विज्ञापन एजेन्सी रूपये 5,000.00/– (4) नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20 बेड तक) रूपये 10,000.00/– (5) नर्सिग होम/प्रसूति गृह (20 बेड के ऊपर) रूपये 15,000.00/– (6) प्राइवेट क्लीनिक/प्राइवेट अस्पताल रूपये 5,000.00/– (7) पैथोलॉजी सेन्टर/एक्सरे क्लीनिक/डेन्टल क्लिीनिक रूपये 5,000.00/– (8) मिनी बस/बस/ट्रक/लारी रूपये 2,000.00/– (9) टैम्पो/विक्रम/आटो रिक्शा/ई–रिक्शा रूपये 1,000.00/– (10) हाथ ठेला/ठेली/रिक्शा ट्राली/रिक्शा किराये पर रूपये 500.00/– (11) मोटर साइकिल/ट्रैक्टर/वाहन एजेन्सी रूपये 10,000.00/– (12) स्कूटर एजेन्सी 2 पहिया/3 पहिया रूपये 10,000.00/– (13) साइकिल/पार्टस की दुकान (नई साइकिल बेचने हो) रूपये 3,000.00/– (14) मोटर/साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल गैरिज रूपये 3,000.00/– (15) वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की दुकान रूपये 3,000.00/– (16) मिटटी तेल/पेट्रोल, डीजल पम्प/कुकिंग गैस एजेन्सी रूपये 5,000.00/–

(17) आटाचक्की/धानमशीन/स्पेलर/रूई धुनाई मशीन रूपये 2,000.00/– (18) फाइनेन्स कम्पनी/चिटफंड कम्पनी/बैंक शाखा रूपये 3,000.00/– (19) मोबाईल टावर/इंश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा रूपये 10,000.00/– (20) बर्फ/सोडा/वाटर/आइसक्रीम फैक्ट्री रूपये 3,000.00/– (21) बेकरी (भट्ठी)/खाद्य पदार्थ बनाने का कारखाना रूपये 3,000.00/– (22) लोहा/सीमेन्ट/ईट/बालू विक्रेता रूपये 5,000.00/– (23) पेन्ट/माल टाईल्स/सिनेटरी/हार्डवेयर विक्रेता रूपये 5,000.00/– (24) बिजली के सामान/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विक्रेता रूपये 5,000.00/– (25) आरा मशीन/टेन्ट हाउस/केटरिंग/कोयला विक्रेता रूपये 5,000.00/– (26) सब्जी/फल/चाट/चाय/पान की दुकान रूपये 1,000.00/– (27) मिठाई की दुकान रूपये 3,000.00/– (28) कपड़ा/टेलरिंग हाउस/रेडिमेड कपड़ा विक्रेता रूपये 3,000.00/– (29) साहूकारी/ज्वैलर्स की दुकान रूपये 10,000.00/– (30) अनाज/केराना/जनरल मर्चेन्ट/जनरल स्टोर दुकान रूपये 3,000.00/– (31) लोहे का कारखाना/वेल्डिंग/खराद की दुकान रूपये 5,000.00/– (32) अंग्रेजी/आयुर्वेदिक दवा की दुकान रूपये 5,000.00/– (33) बैट्ररी विक्रय/मरम्मत की दुकान रूपये 2,000.00/– (34) देशी शराब /बियर/बार/विदेशी शराब की दुकान रूपये 10,000.00/– (35) टिम्बर/फर्नीचर विक्रेता 5,000.00/– (36) कास्मेटिक/चूड़ी/सौन्दर्य प्रसाधन/बिताश खाना रूपये 3,000.00/– (37) टॉवर पर व्यवसायिक शुल्क रूपये 10,000.00/– (38) मुर्गा–मुर्गी/बकरा/भैसा/सुअर मांस दुकान रूपये 3,000.00/– (39) कोल्ड स्टोरेज पर रूपये 10,000.00/– (40) कोचिंग संस्थान रूपये 5,000.00/– (41) मदिरा/शराब की दुकान रूपये 10,000.00/– (42) प्ले ग्रुप से 12 तक निजी स्कूल रूपये 5,000.00/– (43) भांग की दुकान रूपये 5,000.00/– (44) डिग्री कालेज/अन्य व्यवसायिक कालेज रूपये 10,000.00/– (45) हेयर कटिंग सैलून/बाल कटिंग/मेन्स पार्लर रूपये 1,000.00/– (46) डेयरी रूपये 4,000.00/– (47) ब्यूटी पार्लर रूपये 2,000.00/–(48) मोबाइल रिपेयरिंग सेन्टर रूपये 2,000.00/–(49) ड्राई क्लीनर रूपये 3,000.00/– (50) आर0 ओ0 वॉटर सप्लाई रूपये 3,000.00/–(51) फल विक्रेता/अढ़ती रूपये 3,000.00/– (52) कैटरिंग/ टेन्ट हाउस व्यवसाय रूपये 5,000.00/– (53) बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान रूपये 5,000.00/–(54) निर्माणाधीन बिल्डिंग पर निकाले गये मलवा पर रूपये 5,000.00/–(55) प्राइवेट सीवर सेक्शन मशीन/सीवर टैंक/सीवर लाईन सफाई कार्य हेतु निकाय में पंजीयन लाइसेन्स शुल्क रूपये 10,000.00/–(56) नगर में व्यवसाय करने वाले अन्य व्यवसायी (200 वर्ग फिट या उससे न्यून क्षेत्रफल पर) रूपये 2,000.00/–(57) नगर में व्यवसाय करने वाले अन्य व्यवसायी जिनका कारपेट ऐरिया (200 वर्ग फिट या उससे अधिक) रूपये 3,000.00/–(58)–मुख्य मार्गों के किनारे बिल्डिंग मैटेरियल यथा बालू, गिट्टी, ईंट, बॉस बल्ली, पटरा, सटरिंग इत्यादि का व्यवसाय करने वाले पर शुल्क–10,000.00 रू0 बार्षिक।

विवेक यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बकेवर
जनपद, इटावा।

कार्यालय, नगर पंचायत बकेवर, इटावा

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बकेवर, इटावा के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगर पंचायत, बकेवर, इटावा की विविध उपविधि नियमावली, 2023'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा–301(1) के अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत, बकेवर के कार्यालय-पत्र संख्या–1040/न0पं0बके0/2023 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा उक्त उपविधि को अमर उजाला समाचार-पत्र के दिनांक–23 जून, 2023 समाचार-पत्र तथा राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक

किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगर पंचायत बकेवर कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नही कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पंचायत, बकेवर, इटावा की विविध उपविधि नियमावली, 2023'' को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविध कर (शुल्क) उपविधि–2023''

शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक–27 अक्टूबर 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा जो नगर पंचायत पर प्रवृत है के अन्तर्गत नगर पंचायत, बकेवर में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2023 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1–शीर्षक– यह नियमावली ''विविध कर (शुल्क) उपविधि–2023'' कहलायेगी।

2–प्रकृति– यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत बकेवर, इटावा की सीमा में प्रभावी होगी।

संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भः– यह उपविधि ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023'' कहलायेगी। यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत, बकेवर जनपद-इटावा में प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें:– विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेः– (1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है। (2) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद-इटावा के अधिशासी अधिकारी से है। (3) ''नगर पंचायत बकेवर'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद-इटावा से है। (4) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

विविध कर (शुल्क) की दरें:– (1) प्रमाण पत्र शुल्क–रु0 100/– प्रति प्रमाण-पत्र। (2) टैंकर शुल्क (पंचायत सीमा में सार्वजनिक कार्य हेतु)–रु0 700/– प्रति चक्कर/प्रति टैंकर। (3) टैंकर शुल्क (पंचायत सीमा में व्यावसायिक कार्यो हेतु)– रु0 1,000/–प्रति चक्कर/प्रति टैंकर। (4) टैंकर शुल्क (पंचायत सीमा के बाहर अधिकतम 10 किमी0 तक केवल सार्वजनिक कार्यो हेतु)–रु0 2,000/–प्रति चक्कर/प्रति टैंकर। (5) नगर पंचायत के कार्यालय में पम्प हाउस/समरसेबुल से पानी के निजी खाली टैंकर भरने पर शुल्क 300/– प्रति टैंकर। (6) सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (पंचायत सीमान्तर्गत)–रु0 4,000/–प्रति चक्कर/प्रति टैंकर। (7) सीवरेज टैंकर शुल्क (पंचायत सीमा के बाहर अधिकतम 10 किमी तक)–रु0 5,000/–प्रति चक्कर/प्रति टैंकर। (8) नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर पेनॉल्टी शुल्क–रु0 100/–प्रति प्रकरण। (9) नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने की पुनरावृत्ति करनें पर पर पेनॉल्टी शुल्क–रु0 500/–प्रति प्रकरण। (10) 40 माईक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पॉलीथीन प्रयोग करने पर पेनॉल्टी शुल्क–रु0 1,000/–प्रति प्रकरण। (11) 40 माइक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पॉलीथीन प्रयोग करनें की पुनरावृत्ति करनें पर पेनॉल्टी शुल्क–रु0 2,000/–प्रति प्रकरण। (12) नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रॉन्सफार्मर पर शुल्क– रु0 1,000/–वार्षिक। (13) नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क– रु0 5,000/–वार्षिक। (14) नगर पंचायत सीमा में भैंस/गाय/सुअर/श्वॉन इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क–रु 500/– प्रति प्रकरण/प्रतिदिन। (15) नगर पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के ट्॑यलेट प्रयोक्ता यूजर चार्ज रु0 10/– प्रति व्यक्ति एवं बाथरुम प्रयोक्ता यूजर चार्ज रु0 10/–प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।(16) नगर पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 2,000/–तथा पुनरावृत्ति करनें पर रु0 5,000/प्रति प्रकरण। (17) भैंसा/बकरा व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने पर शुल्क रु0 2,000/– वार्षिक प्रति प्रकरण होगा। (18) छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या

मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकनें को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउण्ड्री वाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनॉल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रू0 1,000/– होगा। (19) नगर पंचायत सीमान्तर्गत पालतू जानवर पालने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने पालतू जानवरों के गोबर/गंदगी सार्वजनिक जगहों, मार्गों, पटरियों पर रखने या नाली या नालों में प्रवाहित करने पर सम्बन्धित पशुपालक से पेनॉल्टी शुल्क (स्पॉट फाईन) एक हजार रूपये प्रति प्रकरण की दर से वसूल किया जायेगा तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर पेनाल्टी शुल्क (स्पॉट फाईन) दो हजार प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा। (20) सड़क के किनारे मौरंग, बालू, ईंट भवन समाग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 1,000/–प्रतिदिन प्रति प्रकरण होगा। (21) नगर पंचायत के जे0सी0बी0 मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु0 1,000/–प्रति घण्टा। (22) नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 1,500/– प्रतिदिन। (23) नगर पंचायत के सीमा में स्थित भवन में निजी समर्सिबल पम्प लगवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु शुल्क रु0 2,000 होगा। नगर पंचायत सीमा में स्थित भवन में निजी सबमर्सिबल पम्प से पानी उपयोग करने हेतु वार्षिक शुल्क रु0 600 होगा एवं ऐसे भवन स्वामी जो व्यवसायिक सबमर्सिबल पम्प का प्रयोग करते हैं, इस हेतु वार्षिक शुल्क रु0 1,200 होगा। (24) भवन स्वामियों के द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर जुर्माना रु0 100/–प्रति प्रकरण एवं भवन स्वामियों के द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना रु0 200/–प्रति प्रतिष्ठान प्रकरण। (25) डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा द्वारा स्वयं या अनुबन्धित संस्था के होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू रु0 50/–प्रति परिवार/प्रति माह, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से रु0 200/–प्रति प्रतिष्ठान/प्रतिमाह, प्रति गेस्ट हॉउस से रु0 500/–प्रति गेस्ट हाउस/प्रति बुकिंग एवं बॅल्क वेस्ट जनरेटर (20 किलो से अधिक प्रतिदिन) 1000 रू0 प्रति माह की दर से लिया जायेगा। उपरोक्त डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुल्क की मासिक रूप से वसूली या गृहकर/जलकर के डिमाण्ड बिल में जोड़कर वार्षिक रूप से वसूली किया जायेगा। (26) नगर पंचायत सीमान्तर्गत श्वान/सुअर पालकों को नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण शुल्क रु0 100/–प्रतिवर्ष/प्रति श्वान/प्रति सुअर। (27) नगर पंचायत सीमान्तर्गत मुख्य मार्गों के पटरियों पर तथा वार्डों की गलियों वाली सड़कों पर अपने वाहनों को स्थायी रूप से या सुबह–शाम या रात में पार्क करने के कारण होने वाले सार्वजनिक अवरोध पर सम्बन्धित वाहन स्वामी से स्पॉट फाईन रु0 500/– प्रतिवाहन/प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर स्पॉट फाईन रु0 1,000/– प्रतिवाहन/प्रतिदिन की दर से वसूल किया जाये।

निकाय द्वारा निर्मित दुकानों का शुल्क एवं नीलामी प्रक्रिया– नगर पंचायत बकेवर सीमान्तर्गत शासन की किसी निधि या निकाय निधि या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0 मॉडल) से निर्मित व्यावसायिक दुकानों या भविष्य में निर्मित होने वाले दुकानों के क्षेत्रफल के आधार पर मासिक किराया तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत की धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः– (क) 100 वर्ग फुट क्षेत्रफल तक छोटी दुकानों से मासिक किराया पन्द्रह सौ रूपये तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत धनराशि पच्चीस हजार रूपये होगी। (ख) 100 वर्ग फुट से अधिक 300 वर्ग फुट क्षेत्रफल तक मझौली दुकानों का मासिक किराया पच्चीस सौ रूपये तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत की धनराशि पच्चास हजार रूपये होगी। (ग) 300 वर्ग फुट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की बड़ी दुकानें/हॉल का मासिक किराया चार हजार रुपये तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत की धनराशि एक लाख रूपये होगी। उपरोक्त दुकानों के आवंटन में आरक्षण विषयक शासनादेशों के अनुपालन के पश्चात् दुकानों की वर्गवार क्रमिक ढंग से आरक्षित विभागीय न्यूनतम पगड़ी की धनराशि से नीलामी बोली का प्रारम्भ कर अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में आवंटन की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने पर आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त दुकानों का किराया निर्धारित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व प्रत्येक दशा में जमा न होने पर उपरोक्त आवंटन आदेश निरस्त करते हुये अवषेष किराये को बारह प्रतिशत वार्षिक की

अतिरिक्त ब्याज की धनराशि की गणना करते हुए जमानत की धनराशि से प्रतिपूर्ति करते हुए वसूल की जायेगी। अन्य शासकीय करों की देयता के साथ विद्युत बिल को सम्बन्धित को देय करना होगा। सम्बन्धित दुकानदार के द्वारा किसी भी प्रकार के तोड़ फोड़ या नुकसान करने पर या आवंटित दुकान को अपने स्तर से स्वतः दूसरे को किरायेदारी पर उठाने या प्रतिबन्धित व्यवसाय करने पर भी दुकान का आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

विज्ञापन शुल्क तथा शर्तेः– सचिव उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग–09 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः–618/नौ–09 –2012–277ज/2011 दिनांकः–05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश तथा नगर पंचायत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित शुल्क दरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) विज्ञापन/विज्ञापन पट्ट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, गमनागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुर्क्त हो।

(ख) विज्ञापन पट्टों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(ग) विज्ञापनों को वृक्षो, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बाधा नही जायेगा तथा इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस–पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार से विरूपित न हो।

(घ) विज्ञापन शुल्क दस रूपये प्रति वर्ग फुट/प्रति माह की दर से देय होगा, (अवधि एक दिवस से एक माह तक अधिकतम मान्य होगी) जिसमें सभी प्रकार के होर्डिंग/बैनर/ग्लोसाईन बोर्ड/साईन बोर्ड/विज्ञापन पट्ट/पोस्टर/बैनर/क्यास/वॉल पेंटिग/यूनीपोल इत्यादि सभी प्रकार के विज्ञापन सम्मिलित है। उपरोक्त विज्ञापन शुल्क की दरें प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् स्वतः तीस प्रतिशत प्रति वर्ग फुट/प्रतिमाह की दर से बढ़ जायेगी, परन्तु यदि नगर पंचायत बोर्ड दरों में पुनः कोई संशोधन करना चाहते है, तो पंचायत के पास संशोधन का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ड.) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नही होने चाहिए और उससे सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अपशिष्ट/अश्लील/स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नही होने चाहिये।

(च) उपरोक्त विज्ञापन शुल्क को निर्धारित दरों पर वसूली विभाग द्वारा स्वतः अपने स्तर से अथवा वित्तीय वर्षवार ठेका खुली नीलामी के माध्यम से उठाया जायेगा। उपरोक्त विज्ञापन शुल्क वसूली ठेका नीलामी हेतु न्यूनतम विभागीय आरक्षित धनराशि सभी प्रकार के विज्ञापनों हेतु अधिकृत स्थानों की संख्या का दो हजार गुना मासिक के आधार पर गणना कर वार्षिक न्यूनतम् आरक्षित विभागीय दरें निर्धारित होगीं तथा उक्त के नीलामी बोली में उससे अधिक सर्वोच्च बोलीदाता को ही विज्ञापन शुल्क का ठेका निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन दिया जायेगा, तथा प्रत्येक माह विज्ञापन शुल्क वसूली ठेकेदार को नगर क्षेत्र में उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन अधिकतम प्रकाशित विज्ञापन/होर्डिंग/बैनर इत्यादि लगाने के वास्तिविक स्थानों आधार पर विभागीय संशोधन किया जाना अनुमन्य होगा। प्रत्येक माह में किसी भी दिन विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा की जाने वाली आकस्मिक जॉच में विज्ञापन का ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा नगर क्षेत्र में अधिक क्षेत्रफल के विज्ञापन प्रदर्शित पाये जाने पर सम्बन्धित माह में दस रूपये प्रति वर्गफुट की दर से अतिरिक्त विज्ञापन शुल्क नगर पंचायत कोष में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विज्ञापन शुॅल्क वसूली ठेका आदेश निरस्त करने की विभागीय कार्यवाही की जा सकती है,

(छ) उपरोक्त विज्ञापन/होर्डिंग/बैनर इत्यादि के ठेके के अतिरिक्त अधिष्ठापित यूनीपोल ठेके का विज्ञापन शुल्क (दोनो तरफ के क्षेत्रफल की गणना पृथक-पृथक की जायेगी), दस रूपये प्रतिवर्गफुट/प्रतिमाह की दर से प्रत्येक माह में विभागीय तरीके से वसूल किया जायेगा।

टॉवर शुल्क :–निकाय में अधिष्ठापित होने वाले सभी प्रकार के टॉवरों के अधिष्ठाताओं/भवन स्वामियों से प्रति वर्ष रु0 10,000 (दस हजार रुपये) वार्षिक शुल्क वसूल किया जायेगा।

बेंडिंग जोनः– नगर पंचायत सीमान्तर्गत वेंडिग जोन निम्नानुसार चिन्हित किया जाता हैः–(क) बकेवर–इटावा रोड पर थाने के पास (ख) बकेवर–लखना रोड पर ट्रेनिंग सेन्टर के गेट के सामने।

शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र में लगाई जाने वाली दुकानों से शुल्कः– नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के द्वारा बाजार हेतु चिन्हित बाजार क्षेत्र या भविष्य में अधिकृत होने वाले अन्य बाजार क्षेत्र में सड़क, चबूतरा निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, विद्युतीकरण विषयक मूलभूत/आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के बदले शासन द्वारा निर्धारित शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उक्त बाजार क्षेत्र में लगने वाली छोटी दुकानों से रु0 25/–प्रतिदिन/प्रतिबाजार की दर से एवं बड़ी दुकानों से रु0 50/– प्रतिदिन/ प्रतिबाजार शुल्क वसूली की जायेगी। भविष्य में पंचायत सीमा में वेडिंग जोन/बाजार हेतु और भी स्थल चिन्हित होने पर उन स्थलों पर भी शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शुल्क की दरें प्रभावी मानी जायेगी। भविष्य में शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत चिन्हित बाजार क्षेत्र की वसूली सरकारी कर्मियों से सीधे कराई जायेगी या वार्षिक ठेका नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी। भविष्य में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

विवेक यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बकेवर
जनपद, इटावा।

कार्यालय, नगर पंचायत बकेवर, इटावा

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बकेवर, इटावा के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली–2023'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा–301(1) के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत बकेवर के कार्यालय-पत्र संख्या–1040/न0पं0बके0/2023 दिनांक 22 जून, 2023 के द्वारा उक्त उपविधि को अमर उजाला समाचार-पत्र के दिनांक–23 जून, 2023 समाचार-पत्र तथा राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगर पंचायत बकेवर कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नही कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली–2023" को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली–2023"

शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा जो नगर पंचायत पर प्रवृत है के अन्तर्गत नगर पंचायत बकेवर, में पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली–2023" कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और प्रारम्भ– (क) यह नियमावली ''पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली, 2023'' कहलायेगी। (ख) इसका प्रभाव नगर की सीमा के अन्तर्गत पार्किंग स्टैण्ड हेतु अधिकृत स्थलों पर पार्किंग कर सवारी/सामान उतारने व चढ़ाने वाले वाहनों पर पड़ेगा। (ग) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होनें की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषा – विषय या प्रसंग पर कोई बात प्रतिकूल न होने पर –(क)''नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से होगा। (ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक, नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से होगा। (ग)''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से होगा। (घ)''शुल्क'' का तात्पर्य बस, मिनी बस, जीप, विक्रम, ई–रिक्शा, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर इत्यादि वाहनों के पार्किंग शुल्क से होगा। (ङ) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है। (च) ''अनुज्ञापित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे पार्किंग शुल्क की वसूली का ठेका दिया गया हो और जिसे इस उपविधि के अधीन, नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा की सीमा में पार्किंग शुल्क वसूली हेतु प्रधिकृत किया गया हो। (छ) ''अनुज्ञा-पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है। (ज) ''वर्ष'' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

नियम – (क) नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा सीमान्तर्गत अधिकृत पार्किंग स्थल पर कोई बस, मिनी बस, जीप, टैम्पो, विक्रम, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ई–रिक्शा इत्यादि विविध वाहनों से उस समय तक सामान/सवारी न चढ़ायेगा और न ही उतारेगा, जब तक वह नगर पंचायत द्वारा निर्धारित/अधिकृत पार्किंग स्थल का पार्किंग शुल्क न अदा कर दें। (ख) मोटर गाड़ियों के चालक/परिचालक तथा मोटर मालिक सम्मिलित रूप से पृथक्–पृथक् इन उपविधियों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। (ग) पार्किंग शुल्क की वसूली नगर पंचायत द्वारा अधिकृत पार्किंग स्थलों से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के कर्मचारियों के द्वारा की जायेगी अथवा नगर पंचायत प्राधिकारियों कें द्वारा समय-समय पर नियमानुसार निर्धारित पार्किंग स्थलों की नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी। पार्किंग शुल्क वसूली ठेका का कार्यादेश/अनुबन्ध निर्गत हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पार्किंग शुल्क वसूली करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का होगा तथा निर्वाचन, अन्य किसी शासकीय कारण या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/निर्देश पर यदि पार्किंग शुल्क वसूली बाधित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी अर्थात् निकाय द्वारा जमा की गयी पार्किंग शुल्क नीलामी/निविदा की धनराशि वापस नही की जायेगी।

(घ) नीलामी न होने पर कर्मचारियों के द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली करने पर दैनिक वसूली का हिसाब दूसरे दिन कार्यालय नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा में जमा करेगा। (ङ) पार्किंग शुल्क वसूली नीलामी/निविदा की अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, से 31 मार्च, तक होगी।

(च) अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक को पार्किंग शुल्क वसूली नीलामी/निविदा की अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। (छ) ठेकेदार अपने हर्जे–खर्चे से पार्किंग शुल्क वसूली की व्यवस्था करेगा, प्रत्येक व्यक्ति जिससे पार्किंग शुल्क वसूली करेगा, प्राप्त धनराशि की निर्धारित प्रारूप पर रसीद तुरन्त देगा, जिसमें सम्पूर्ण विवरण अंकित होगा। पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरें सार्वजनिक स्थलों पर लगे बोर्ड पर नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा द्वारा प्रकाशित होगी। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से सम्पर्क कर शंका का निवारण कर सकता है। (ज) नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा अनियमितता बरतने पर उसके विरूद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही कर सकेंगे।

स्टैण्ड, पार्किंग शुल्क की दरें – (क) बस, इत्यादि भारी वाहन– रु0 100.00 प्रतिदिन (ख) मिनी बस इत्यादि मझोले वाहन– रु0 70.00 प्रतिदिन (ग) जीप, इत्यादि फोर व्हीलर वाहन रु0 40.00 प्रतिदिन, (घ) विक्रम, थ्री व्हीलर, टैम्पो, ई–रिक्शा इत्यादि छोटे वाहन –रु0 30.00 प्रतिदिन।

निम्न वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे– (क) शव ले जा रहे वाहन। (ख) निर्वाचन, चिकित्सा एवं अन्य शासकीय कार्यों में प्रयुक्त वाहन। (ग) सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण व उनका घरेलू सामान जो किसी वाहन पर लदा हो।

विवेक यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बकेवर
जनपद, इटावा।

कार्यालय, नगर पंचायत बकेवर, इटावा

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बकेवर, इटावा के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की ठेकेदारी पंजीकरण उवविधि–2023'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा–301(1) के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत बकेवर के कार्यालय पत्र संख्या–1040/न0पं0बके0/2023 दिनांक 22 जून, 2023 के द्वारा उक्त उपविधि को अमर उजाला समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2023 समाचार-पत्र तथा राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगर पंचायत बकेवर, कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नही कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की ठेकेदारी पंजीकरण उवविधि–2023" को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

ठेकेदारी पंजीकरण उवविधि–2023"

शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक–27 अक्टूवर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा जो नगर पंचायत पर प्रवृत है के अन्तर्गत नगर पंचायत बकेवर, में ठेकेदारी पंजीकरण उवविधि–2023" कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति– उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा की सीमा में नगर के विकास के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं के विधिवत संचालन हेतु ठेकेदारी पंजीयन उपविधि 2023 बनायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशनोपरान्त नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा में विविध प्रकार के जनहित के कार्यों निर्माण/अधिष्ठापन/आपूर्ति कार्य के पंजीकरण हेतु प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में:– (क) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है। (ख) "नगर" का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से है। (ग) "शुल्क" का तात्पर्य उल्लिखित उपविधि में यथा स्थान प्रदर्शित शुल्क से है। (घ) "नगरपालिका/नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से है।(ड़) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के अध्यक्ष/प्रशासक से है। (च) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा से है। (छ) "समिति" गठित/निर्वाचित समिति नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा से है। (ज) "प्राविधिक अधिकारी" से तात्पर्य नगर विकास विभाग/जिला प्रशासन के द्वारा नगर पंचायत में प्रावधिक कार्यों हेतु तैनात प्रावधिक अभियंता से है।

विस्तार– यह उपविधि नगर पंचायत बकेवर, जनपद, इटावा के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं पर लागू होगी। इस उपनियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार, फर्म एवं निदेशक उद्योग, विद्युत सुरक्षा,

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र धारी विद्युत ठेकेदार आदि, जो इस उपविधि की अन्य शर्तों को पूरा करते है, नगर पंचायत में निविदायें डालने हेतु अधिकृत होगें।

अभिप्राय– पंजीकृत सभी अकेले अविभाजित हिन्दू परिवारों या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कम्पनी जो सही ढ़ंग से पंजीकृत हो, हेतु खुला है, यद्यपि अविभाजित हिन्दू परिवारों, सभी सार्वजनिक एवं निजी कम्पनी की दशा में कोई एक व्यक्ति विभाग के प्रत्येक जिम्मेदारी पूर्ण सम्पर्क हेतु अधिकृत होना चाहिये। ऐसे अधिकृत व्यक्ति अविभाजित हिन्दू परिवारों, फर्म, सार्वजनिक तथा कम्पनी पर मान्य होगी।

कार्यों का वर्गीकरण:– ठेकेदारों का पंजीकरण निम्नलिखित कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किसी एक/समस्त वर्गों हेतु की जायेगी।

(क) भवन निर्माण/भूमि विकास/सड़क, नाली, नाला, आदि सभी प्रकार के निर्माण कार्य।

(ख) सेनीटेशन एवं जलापूर्ति कार्य।

(ग) विद्युतीकरण कार्य।

(घ) कूड़ा प्रबन्धन आदि कार्य।

ठेकेदारों का पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणियों हेतु अलग–अलग किया जायेगा :–

(क) प्रथम श्रेणी ठेकेदार

(ख) द्वितीय श्रेणी ठेकेदार

(ग) तृतीय श्रेणी ठेकेदार

(घ) चतुर्थ श्रेणी ठेकेदार

नोट:–किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया ठेकेदार उसी श्रेणी में या उससे निम्न श्रेणी/श्रेणियों में निविदा/निविदाओं में भाग ले सकेगा।

ठेकेदार की योग्यता:– किसी भी श्रेणी/वर्ग में पंजीकृत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित करने वाला प्रार्थी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:–

(क) वह भारत का नागरिक होना चाहिये।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नवीनतम हैसियत एवं चरित प्रमाण-पत्र होना चाहिये तथा उसकी वैधता शासनादेश के अन्तर्गत हो।

(ग) प्रार्थी आयकर दाता होना चाहिये।

(घ) प्रार्थी वाणिज्य एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत होना चाहिये।

(ड़) प्रार्थी स्वयं तकनीकी योग्यता रखता हो या उसके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी होना चाहिये।

(च) प्रार्थी के पास सफलतापूर्वक कार्यों को सम्पादित कराने का अनुभव होना चाहिये तथा कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक सम्बन्धित उपकरण भी होने चाहिये।

प्रार्थना-पत्र घोषणा की विधि :–

(1) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ दर्शायी गयी धनराशि के अनुसार मूल रसीद, जो कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत बकेवर, इटावा के पक्ष में/उनके कार्यालय में जमा की गई हो, संलग्न करना आवश्यक है।

(2) प्रत्येक ठेकेदारी पंजीयन प्रार्थना-पत्र के साथ योग्यता के अनुसार निम्नानुसार आवश्यक दस्तावेज के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाना चाहिएः–

(क) प्रार्थी की स्वयं की तकनीकी योग्यता/तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी का हलफनामा व प्रमाण-पत्र।

(ख) आयकर प्रमाण-पत्र एवं व्यापार कर प्रमाण-पत्र।

(ग) प्रपत्र 'ख' के अनुसार अनुभव प्रमाण-पत्र।

(घ) फर्म के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में पार्टनरशिप डीड एवं पंजीकरण की सत्यापित प्रति एवं कंम्पनी के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में डीड ऑफ आर्टिकल्स एसोसिएशन संलग्न करना अनिवार्य है।

(ड़) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, साझेदारी की दशा में प्रत्येक साझेदार को चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम आर्थिक स्थिति हेतु हैसियत प्रमाण-पत्र।

नोट– हैसियत प्रमाण-पत्र बन्धक मुक्त होगा तथा मुख्तारनामा हैसियत प्रमाण-पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।(ज) कार्य वर्गीकरण के अनुसार स्वयं के पास उपलब्ध उपकरणों का विवरण विषयक शपथ-पत्र पर देना होगा।

श्रेणीवार पंजीकरण तथा पंजीकरण/नवीनीकरण निर्धारित शुल्कः– प्रार्थी को पंजीकरण प्रार्थना-पत्र के साथ उल्लिखित/ठेकदारों के पंजीकरण की श्रेणीवार हैसियत/जमानत/पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा, जो किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा, का विवरण निम्नानुसार है :–

ठेकेदार की श्रेणी	ठेकेदारी हेतु अनुमन्य कार्य की लागत	ठेकेदार की हैसियत प्रमाण-पत्र की क्षमता	जमानत धनराशि	पंजीकरण/ नवीनीकरण शुल्क
1	2	3	4	5
प्रथम श्रेणी	चालीस लाख रुपये से अधिक के कार्य हेतु	चालीस लाख रुपये या उससे अधिक	पचास हजार रुपये का बंधक युक्त एफ0डी0आर0	बीस हजार रुपये प्रति वर्ष
द्वितीय श्रेणी	बीस लाख रुपये से अधिक से चालीस लाख रुपये तक के कार्य हेतु	बीस लाख रुपये या उससे अधिक	चालीस हजार रुपये का बन्धक युक्त एफ0डी0आर0	पन्द्रह हजार रुपये प्रतिवर्ष
तृतीय	दस लाख रुपये से अधिक से बीस लाख रुपये तक के कार्य हेतु	दस लाख रुपये या उससे अधिक	तीस हजार रूपये की बन्धन युक्त एफ0डी0आर0	दस हजार रुपये प्रतिवर्ष
चतुर्थ श्रेणी	दस लाख रुपये या उससे कम धनराशि के कार्य हेतु	पांच लाख रुपये या उससे अधिक	बीस हजार रुपये का बन्धक युक्त एफ0डी0आर0	पंच हजार रुपये प्रतिवर्ष

कार्यालय जहां प्रार्थना-पत्र जमा किया जायेगा:– ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बकेव, जनपद-इटावा के यहाँ/उनके कार्यालय में जमा किये जायेंगे

पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी:– विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी का निर्णय किसी भी विवाद की दशा मे अन्तिम होगा।

सामान्य जमानत धनराशि :–

(क) चयनित ठेकेदारों को दर्शाई गई धनराशि के अनुसार सामान्य जमानत पंजीकरण सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। उक्त समय में वृद्धि प्रदान किये जाने का अधिकार सक्षम प्रधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, परन्तु किसी भी दशा में समयवृद्धि एक माह से अधिक प्रदान नही की जायेगी। निर्धारित अवधि तक जमानत धनराशि जमा न किये जाने की दशा में पंजीकरण स्वयं निरस्त समझा जायेगा एवं इस सम्बन्ध में कोई विचार उस वित्तीय वर्ष में नही किया जायेगा।

(ख) सामान्य जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पद नाम से बन्धक कर 'फिक्सडॅ डिपॉजिट' के रूप में जमा की जायेगी।

(ग) उक्त क्रिया के पश्चात् ठेकेदार/ठेकेदार फर्म नगर पंचायत में निविदा डालने हेतु अधिकृत होंगी, जिसके लिये उसे निविदा धनराशि के सापेक्ष प्रदर्शित धरोहर राशि को जमा करना होगा तथा कार्य स्वीकृति के पश्चात् जमा धरोहर धनराशि को सम्मिलित करते हुये 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी होगी, यदि ऐसा नही करेगा, तो भुगतान बीजकों से शेष जमानत की पूर्ति कर ली जायेगी, जो अन्तिम भुगतान तिथि से शासनादेशों में् वर्णित रीति से गुणवत्ता के परीक्षणोपरान्त कार्य सन्तोष जनक पाये जाने पर वापस की जायेगी अन्यथा जब्त कर ली जायेगी।

(घ) किसी निविदा स्वीकृति के पश्चात् यदि ठेकेदार के द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ नही कराया जाता है, तो उस ठेकेदार की जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त करते हुये काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ड़) सक्षम अधिकारी किसी भी कार्य में ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की दशा में (जैसे कार्य का समय से पूर्ण न होना, कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानक से निम्न स्तर का होना इत्यादि) उस ठेकेदार की सामान्य जमानत धनराशि से कटौती करके पूर्ण कर सकते है, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपनी पंजीकरण धनराशि में से कटौती करके कार्यपूर्ण किया जायेगा, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपना पंजीकरण चालू रखने हेतु एक माह में उक्त धनराशि अपने सामान्य जमानत धनराशि में जमा करनी होगी।

(च) ठेकेदार को सामान्य जमानत धनराशि उसकी पंजीकरण समाप्ति आदेश के छः माह के भीतर विमोचित कर दी जायेगी।

पंजीकरण प्रक्रिया:– समस्त प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के अनुसार नामांकन करके निरीक्षण किये जायेंगे, तत्पश्चात् सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अपनी संस्तुतियों एवं आदेश हेतु प्रेषित किये जायेगें। सक्षम प्राधिकारी अपना अनुमोदन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच किसी भी प्रार्थना-पत्र पर करवा सकता है। पूर्णतयः संतुष्ट होने के पश्चात् प्राधिकारी पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारों के द्वारा आवश्यक जमानत धनराशि जमा करवा दिये जाने की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान करेंगे। यदि संस्तुति अधिकारी/प्राधिकारी किसी प्रार्थना-पत्र से संतुष्ट नही होते है, तो वह समिति के अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी को उन कारणों से अवगत कराते हुए ठेकेदारी प्रार्थना-पत्र विषयक आवेदन को निरस्त कर सकते है। सभी प्रार्थना-पत्र प्राप्ति से मात्र तीन माह के भीतर निस्तारित किये जायेंगे। तीन माह के आदेश न हो पाने की स्थिति में प्रार्थना-पत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा तथा जमा शुल्क वापस नही किया जायेगा।

विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों की सूची का रख-रखाव:– नगर पंचायत, बकेवर जनपद-इटावा विभिन्न श्रेणी वर्ग के ठेकेदारों की अलग–अलग सूची में तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना:–अधिशासी अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारों की सूची के अनुमोदनोपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र की मान्य अवधि:– प्रत्येक श्रेणी/वर्ग के ठेकेदारों हेतु जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र उसी वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा, जिसमें वह निर्गत किया गया हो।

प्रमाण-पत्र नवीनीकरण:– पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने से दो माह पूर्व ठेकेदार को प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बकेवर, जनपद-इटावा को प्रेषित करना होगा। तत्पश्चात् आवश्यक जांचोपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा नये पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जो अगले एक वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। नवीनीकरण हेतु ठेकेदारों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्गत अद्यतन हैसियत एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र, आय कर प्रमाण-पत्र, वाणिज्य एवं सेवा कर विभाग में पंजीयन प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क उपरोक्तानुसार जमा करना होगा।

प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति:– पंजीकरण प्रमाण-पत्र खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र की प्राप्ति ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित फीस जमा करने पर निर्गत की जायेगी। प्रथम श्रेणी हेतु चार हजार रुपये, द्वितीय श्रेणी हेतु तीन हजार रुपये, तृतीय श्रेणी हेतु दो हजार रूपये तथा चतुर्थ श्रेणी हेतु एक हजार रुपये, मात्र।

पंजीकरण की कुल अवधि:– समस्त वर्ग/श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण की कुल अवधि पंजीकरण चालू वित्तीय वर्ष से 31 मार्च तक होगी अर्थात अधिकतम एक वर्ष से अधिक नही होगी एवं पुनः ठेकेदार/फर्म को नये सिरे से आगामी वित्तीय वर्ष में ठेकेदारी पंजीयन/नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा।

ठेकेदारों के पंजीकरण का निरस्तीकरण:– ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु समिति के अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी के पास पंजीकरण के आदेश को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, परन्तु इस प्रकार के किसी निरस्तीकरण से पूर्व ठेकेदारों को "कारण बताओं नोटिस" पन्द्रह दिवस का देना होगा, ताकि प्रश्नगत ठेकेदार प्राधिकारी को अपनी परिस्थितियों/कारणों की व्याख्या कर सके–

(क) कार्यों का मानक के अनुसार न होना।

(ख) कार्यों का निविदा अनुबन्ध में निर्धारित समय से पूर्ण न कराया जाना।

(ग) ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार के गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना।

(घ) योजना से सम्बन्धित किसी अधिकारी/कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया जाना। अधिशासी अधिकारी, क्रियान्यवन से सम्बन्धित आदेश को अधिकारियों/कर्मचारियों/सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को सूचित करेंगे।

निरस्तीकरण की सुनवाई:– किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त किये जाने पर वह नगर पंचायत समिति/प्रशासक महोदय के समक्ष इस प्रकार के आदेश के खिलाफ सुनवाई हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु केवल उन्ही प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायेगा, जो निरस्तीकरण के एक माह की अवधि में प्रेषित किये गये हों एवं साथ मे रु0 500.00 जमा कर, रसीद मूलरूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

• निर्माण कार्य करने के बीच में यदि कोई ठेकेदार, कार्य अपनी इच्छा से बन्द करे या जानबूझ कर विलम्ब करना चाहता हो और ऐसे में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक को विदित हो जाय व संतुष्ट

हो तो ठेकेदार के नाम से स्वीकृत निर्माण कार्य अस्वीकृत किया जायेगा व ऐसे ठेकेदार को, किये गये अधूरे निर्माण कार्य का भुगतान नही होगा। ऐसी स्थिति में भी ऐसे अधूरे निर्माण कार्य को पंजीकृत ठेकेदारों/फर्म में से किसी भी एक ठेकेदार/फर्म में से पूर्व स्वीकृत दरों से ही निर्माण कार्य करवाया जायेगा, अथवा निर्माण कार्य के लिये नियमानुसार पुनः टेण्डर आमंत्रित किये जायेगें।

• प्रत्येक ठेकेदार को निर्माण कार्य सम्बन्धी समस्त जानकारी निर्माण स्थल का निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में टेण्डर देने से पूर्व पूर्णरूप से प्राप्त करनी आवश्यक हागी।

• निर्माण कार्यो के आंकलन (प्रॉक्कलन) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, इटावा, उ0प्र0 या अन्य संस्थाओं जो जिले के लिये अधिकृत मानक तालिका के अनुसार ही नगर पालिका के लिये अधिकृत प्राविधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी, प्राविधिक अधिकारी (अवर अभियंता/सहायक अभियंता) द्वारा निर्मित होगें तथा किसी भी कार्य के करवाने में स्वीकृत मानक तालिका में वर्णित दरों, स्वीकृत निविदा के अन्तर्गत ही ठेकेदारों को भुगतान किया जायेगा।

• निर्माण कार्य सम्पन्न करते समय या निर्माणाधीन स्थिति में कार्यरूप निर्माण में परिवर्तन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, प्राविधिक अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी/प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट में ही निहित होगा। ठेकेदार की इच्छा से स्वीकृत प्लान के बाहर या किसी प्रकार परिवर्तन किये जाने की स्थिति में वर्णित किसी भी विहित प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे निर्माण कार्य को ठेकेदार के जोखिम दरों या जुर्माना, परन्तु जुर्माने की धनराशि स्वीकृत निर्माण कार्य की लागत का 10 प्रतिशत तक ही होगी, निर्धारित कर या तो निर्माण कार्य का तुड़वा दिया जायेगा या रहने दिया जायेगा। ठेकेदार की स्वेच्छा से किये गये निर्माण कार्य का उसको किसी भी दशा में भुगतान नही होगा।

• स्वीकृत निर्माण कार्य में छल, कपट सा किसी अन्य प्रकार से ठेकेदार द्वारा अपने हित जिससे कि उसे अधिक लाभ हो रहा हो या होना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिशासी अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी को लागत निर्माण कार्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना करने का अधिकार होगा और कार्य ठीक करवाने बावत नोटिस भी जारी किया जायेगा। पुनः अवहेलना करने पर 10 प्रतिशत की कटौती उसमें अग्रिम भुगतान बिल से काट ली जायेगी, जो कि किसी भी स्थिति में उसे देय नही होगा।

• ठेकेदार का निर्माण कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में या निर्माण कार्य के दौरान पूरे उपकरणों, वांछित मात्रा में सामग्री का प्रयोग न करने व न पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि तत्काल ही ठेकेदार को नोटिस दे दें एवं काम रोंक दें।

• ठेकेदार के नाम प्रशासनिक स्वीकृति किसी भी निर्माण कार्य को करवाने के लिये दिये जाने से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को आवश्यक होगा कि वह कार्य को पूरा करने हेतु इकरारनामा वांछित स्टाम्प पेपर पर स्वयं क्रय कर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

• प्रत्येक निर्माण कार्य की धनराशि के अुनसार ही 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत) निविदा प्रपत्र शुल्क के साथ मय जी0एस0टी0 सहित जो निविदा सूचना विज्ञप्ति में दिया होगा, को सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा जमा करने पर निविदा प्रपत्र क्रय किया जा सकता है। उपरोक्त निविदा प्रपत्र शुल्क की गणना दस के गुणक में मान्य होगी।

• यदि किसी ठेकेदार का कार्य एवं आचरण असंतोषजनक पाया गया या पाया जाय कि ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन किया है या निर्धारित शर्तों का पालन प्राविधिक स्तर से नही किया गया है तो उसका नाम ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से काट कर अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी उसे ब्लैक लिस्ट कर सकते है एवं भविष्य में उसे निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है।

• ठेकेदार को नगर पंचायत के अध्यक्ष, प्रशासक, प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता की हिदायतों का पूर्ण पालन करना होगा एवं ये सभी अधिकारी व प्राविधिक अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकतें है, त्रुटियों के अनुपालन हेतु निर्देश दे सकतें है, कार्य को घटा या बढ़ा सकते है या वांछित परिवर्तन हेतु लिख सकते है जिसका कि अक्षरशः पालन ठेकेदार को करना होगा।

• निविदा प्रपत्र में वर्णित व उल्लिखित शर्तों का अनुपालन जैसे भी सामूहिक सा परिवर्तन की शर्तों का अनुपालन करना अंकित होगा, ठेकेदार को मान्य होगा।

• नगर पंचायत बकेवर के समस्त निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त उपकरण, साज सामग्री का निर्माण स्थल पर पायी जाने वाली निर्माण सामग्री पत्थर, ईट, बजरी आदि पहले से पड़ी हो तो उसका प्रयोग करने की स्थिति में अध्यक्ष/प्रशासक को अधिकार होगा कि उसकी कीमत निर्धारित कर ठेकेदार के बिल से काट लें, ठेकेदार को कोई आपत्ति नही होगी। इसके अतिरिक्त यदि निर्माण स्थल से जो भी उपकरण आदि हटवाने की आवश्यकता होगी और जिसका प्रयोग करना ठेकेदार को जायज न होगा, ऐसे सामान या निकाली हुई सम्पत्ति को ठेकेदार को कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा ऐसी सामग्री उपकरण आदि की कीमत जो तय की जायेगी, ठेकेदार से वसूल की जायेगी या उसके अग्रिम या नवीनतम बिलों में से काटी जायेगी।

• निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् किये गये निर्माण कार्य के मूल्य या लागत जिसका कि माप प्राविधिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा व माप पुस्तिका में अंकित होगा, के कार्य का भुगतान जैसा भी उचित समझा जायेगा ठेकेदार की कार्य की प्रगति देने व सुविधा के दृष्टिकोण से अग्रिम भुगतान भी देय होगा।

• यदि ठेकेदार निर्धारित कार्य को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूरा करके नही देता तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा, कि सार्वजनिक निर्माण कार्य/अन्य कार्य, को जनहित में 10 प्रतिशत तक विलम्ब से तैयार करने का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में समय वृद्धि भी दी जानी मान्य समझी जायेगी। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिये अन्तिम भुगतान के लिये संस्तुति एवं प्रस्तुतीकरण करने से पूर्व ठेकेदार के द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य के प्राविधिक स्तर से प्राविधिक अधिकारी द्वारा ही कार्य संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण मानक के अन्तर्गत आगणन में दी गयी विशिष्टियों के अन्तर्गत हुआ है, ने इस आशय का प्रमाण-पत्र दे दिया हो, प्रमाण-पत्र के अभाव में अंतिम भुगतान बिल को प्रशासकीय स्वीकृति नही ली जायेगी और न ही भुगतान देय होगा।

• कार्य ठीक पाये जाने, रहने या टूट फूट न होने की स्थिति में कार्य के निमित्त जमा की गयी जमानत की धनराशि जो कि ठेकेदार के द्वारा या बिलों के माध्यम से 10 प्रतिशत काटी गयी धनराशि तभी ठेकेदार को देय होगी जब तक शासनादशों में अनुरक्षण की अवधि समाप्त न हो जाय। एक वर्ष की अवधि से तात्पर्य ठेकेदार को अंतिम भुगतान किये जाने की तिथि से मानी जायेगी। निर्माण कार्य ठीक न रहने पर व टूट फूट होने की स्थिति में जमा जमानत धनराशि तभी देय होगी जब तक की ठेकेदार ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्य को पूर्ण नही कर लेता, अन्यथा ऐसी समस्त मरम्मत कार्य नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा द्वारा प्राविधिक अधिकारी के नेतृत्व में करवा दिया जावेगा या धरोहर/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

• उपविधि की उपरोक्त किसी भी उपधारा में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा की समिति में संकल्प पारित के उपरान्त ही किया जायेगा, प्रतिबंध होगा कि निर्धारित शुल्क में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

• लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमावली के यदि कोई बिन्दु इसमें छूटा हो तो मान्य होगा।

• अधिशासी अधिकारी/ अध्यक्ष/उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होगें।

• देयक से नियमानुसार काटी जाने वाली आयकर, वाणिज्य कर, खनिज आदि अन्य विविध कर की काटौती मान्य होगी।

• समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेश फर्म/ठेकेदार पर लागू होंगे।

• शासन द्वारा ई–टेण्डर नियमावली/प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल पर क्रय सम्बन्धित निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश, शासनादेश अक्षरशः मान्य होगें तथा उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त ठेकेदारी पंजीयन नियमावली में किसी प्रकार के विरोधाभाष की स्थिति में ठेकेदारी पंजीयन नियमावली के प्राविधान उस स्तर तक शून्य माने जायेंगे।

विवेक यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बकेवर
जनपद, इटावा।

कार्यालय, नगर पंचायत बकेवर, इटावा

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बकेवर, इटावा के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2023'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा–301(1) के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत बकेवर के कार्यालय पत्र संख्या–1040/न0पं0बके0/2023 दिनांक 22 जून, 2023 के द्वारा उक्त उपविधि को अमर उजाला समाचार-पत्र के दिनांक–23 जून, 2023 समाचार-पत्र तथा राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगर पंचायत बकेवर कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नही कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2023" को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2023

शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक–27 अक्टूवर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा जो नगर पंचायत पर प्रवृत है के अन्तर्गत नगर पंचायत बकेवर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2023" कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– इस उपविधि का नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि–2023" कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रसार :– उपरोक्त उपविधि नगर पंचायत बकेवर, जनपद इटावा के सीमाओं के अन्तर्गत प्रभावी होगी।

प्राधिकारी :– उपरोक्त उपविधि में प्रयुक्त "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा के अध्यक्ष/प्रशासक से है तथा "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर, जनपद इटावा के अधिशासी अधिकारी से है। उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत आरोपित यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन को आरोपित करने का अधिकार "अधिशासी अधिकारी" में या उनके द्वारा अधिकृत किसी टैक्स कलेक्टर, लिपिक या किसी अन्य कर्मी में अंतर्निहित होगा।

उपरोक्त उपविधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु आरोपित यूजर चार्ज/स्पॉट फाईन/प्रशमन शुल्क की दरें निम्नानुसार हैः–(1) व्यक्ति या समूह या संस्था के द्वारा किसी सार्वजनिक

स्थल पर किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को फेकना/जानवरों को बॉधना या खिलाना/वाहनों की धुलाई/कपड़े धोना/सार्वजनिक स्थल नदी तालाब, कुंआ इत्यादि में गंदगी फैलाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0500/–(पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (2) मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (3) घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्गदर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टॅर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1000/–), (4) पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–) (5) नाले, नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गंदगी करने/कराने या गंदगी फैलाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 5,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 10,000/–) (6) डस्टविन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–) (7) किसी परिसर में चौबीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये कूड़ा करकट को बनाये रखने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (8) कानून का उल्लंघन करते हुये शव का अनियमित निस्तारण करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–), (9) अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–), (10) प्रतिबन्धि पॉलीथीन/थर्माकोल आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर (क) 40 माईक्रोन मोटाई से कम मोटाई की पॉलीथीन का प्रयोग करने पर पेनॉल्टी/जुर्माना शुल्क एक सौ रु0 प्रति प्रकरण की जगह सभी प्रकार की मोटाई वाले पॉलीथीन/प्लॉस्टिक के साथ ही थर्माकोल से निर्मित कैरी बैग, कप, प्लेट, दोना, गिलास, चम्मच, इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादों का प्रयोग करने पर पेनॉल्टी/जुर्माना शुल्क क्रमशः 100 ग्राम तक के वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–) (ख) 100 ग्राम से अधिक व 200 ग्राम तक के वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–) (ग) 200 ग्राम से अधिक वे 500 ग्राम तक के वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/ स्पॉट फाईन रु0 2,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 4,000/–) (घ) 500 ग्राम से अधिक व 1,000 ग्राम वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 5,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 10,000/–) (ङ) 01 किलोग्राम से अधिक व 05 किलोग्राम वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 10,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 20,000/–) (च) 05 किलोग्राम से अधिक वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 25,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 50,000/–), (11) बिना पृथक्करण किये हुये तथा बिना अलग–अलग निर्धारित डस्टबिन में रखे हुए कूड़े का सौपना :– (अ) व्यक्तिगत भवन यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 100/– (पुनरावृत्ति पर रु0 200/–) (ब) दुकान/हॉल/शापिंग काम्पलेक्स यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–) (द) मैरिज लॉन/इवेंन्ट आर्गेनाइजर्स यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 2000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 5,000/–), (12) बृहद अपशिष्ट उत्सर्जकों (100 किलो ग्राम से अधिक प्रतिदिन) के द्वारा अपशिष्ट के उपचार हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 5,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 10,000/–), (13) विनिर्दिष्ट परिसंकट मय अपशिष्ट (हेजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 2,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 5000/–), (14) बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–) (15) विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/ प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–) (16) बायोमेडिकल अपशिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–) (17) भवन निर्माण सामग्री और ढहाने (मलवा) के अपशिष्ट का यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/ अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/ स्पॉट फाईन रु0 1,000/–

(पुनरावृत्ति पर रु0 2,000/–) (18) ठोस अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–) (19) उघान अपशिष्ट और पेड़ो की छटॉई के कूड़ो को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (20) सार्वजनिक स्थल पर अपशिष्ट जलाकर कूड़ा निस्तारण करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (21) खुले मे/सार्वजनिक स्थान पर शौच करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 100/– (पुनरावृत्ति पर रु0 500/–), (22) खुले में/सावर्जनिक स्थान पर मूत्र विसर्जन करने या थूकने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 100/– (पुनरावृत्ति पर रु0 500/–), (23) पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों, सड़कों, पार्क में कराने या डालने या फेकने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (24) घरेलू अपशिष्टों से भिन्न मछली, मुर्गा या अन्य मांसाहारी जानवरों के अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट तरीके से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (25) बिना डिब्बा में/अपशिष्ट टोकरी के ठेले/फेरीवाले/फुटपाथ या किसी अन्य जगह पर सब्जी या फल के दुकानदारों के द्वारा अपशिष्ट फैलाने परयूजर चार्ज/ प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1000/–), (26) व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत रूप से पानी बहाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (27) सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह/भंण्डारा/लंगर इत्यादि के पश्चात् चौबीस घण्टे के भीतर सफाई न कराये जाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 5,000/–), (28) नगर पंचायत द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत डोर टू डोर कलेक्शन एजेन्सी को कूड़ा न देने पर (प्रत्येक बार) यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 100/– (पुनरावृत्ति पर रु0 500/–), (29) ऑटो मोबाईल सर्विस सेन्टर/टू व्हीलर/फोर व्हीलर/स्पेयर पार्टस बेंचने वाले दुकानदारों की मरम्मत के दौरान कोई भी कूड़ा प्लास्टिक, पैकिगं मैटीरियल इत्यादि सड़क पर छोड़ने पर दुकान संचालकों पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 500/– (पुनरावृत्ति पर रु0 1,000/–), (30) होटल, रेस्टोरेन्ट, चाट, अंण्डा, नॉनवेज, चाय, समोसा, पकौड़ी, मिष्ठान, आईस स्क्रीम, इत्यादि खाद्य पदार्थ बेंचने वाले अथवा उनके ग्राहकों द्वारा सड़क पर कूड़ा छोड़े जाने वाले दुकानदारो पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 100/– (पुनरावृत्ति पर रु0 500/–), (31) बिल्डिंग मैटीरियल/मलबा सार्वजनिक स्थल/सड़क पर डालने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 1,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 5,000/–), (32) सेप्टिक टैंक क्लीनिग मशीनों का एकत्रित सीवेज को सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट/सीवेज पम्पिंग स्टेशन या निकाय द्वारा उक्त हेतु अधिकृत स्थल के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थलों/नालों/नदियों इत्यादि में डालने पर यूजर चार्ज /प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रु0 5,000/– (पुनरावृत्ति पर रु0 10,000/–) ।

विवेक यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बकेवर
जनपद, इटावा।

कार्यालय, नगर पंचायत बकेवर, इटावा

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बकेवर, इटावा के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की ''भू-भवन मानचित्र उपविधि–2023'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा-301(1) के अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत बकेवर के कार्यालय पत्र संख्या-1040/न0पं0बके0/2023 दिनांक 22 जून, 2023 के द्वारा उक्त उपविधि को अमर उजाला समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2023 समाचार-पत्र तथा राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगर पंचायत बकेवर कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नही

कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पंचायत बकेवर, इटावा की ''भू-भवन मानचित्र उपविधि–2023''को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भू-भवन मानचित्र उपविधि–2023

शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूवर 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा जो नगर पंचायत पर प्रवृत है के अन्तर्गत नगर पंचायत बकेवर में ''भू-भवन मानचित्र उपविधि–2023'' कहलायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

यह नियमावली ''भू-भवन मानचित्र उपविधि–2023'' कहलायेगी। यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा की सीमा में प्रभावी होगी।

परिभाषायें– जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा के अधिशासी अधिकारी से है। ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा के बोर्ड/समिति से है। ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है। ''नगर पंचायत बकेवर'' से तात्पर्य नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा से है।''नगर पंचायत बकेवर की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

''भवन/भू-खण्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा में स्थित भवनों/गृहों/भू-खण्डों आदि से होगा अर्थात् वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित है, तो इसे परिसर के सभी भवनों को भूमि सहित भवन कहा जायेगा। व्यवसायिक भवन का तात्पर्य जिस भवन में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता हो।

गोदाम का तात्पर्य जिस भवन में क्रय विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का माल एकत्र किया जाता हो तथा रखा जाता है। रिहायशी भवन का तात्पर्य जिस भवन में कोई परिवार रहता हो या परिवार के रहने के योग्य हो।

सामाजिक भवन का तात्पर्य जो किसी भी सरकारी कार्यालय के रूप में अस्पताल, विश्राम गृह, स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय या अन्य किसी शसकीय प्रयोग में आता हों।

हाल का तात्पर्य भवन के अन्दर या बाहर बड़ा कमरा जो सामूहिक प्रयोग के लिए बनाया गया हो जिसकी लम्बाई 5 5 वर्ग मीटर से कम न हो।

कमरा का तात्पर्य भवन का वह कमरा होता है जो सोने बैठने व अन्य किसी प्रकार के कार्यो में प्रयोग होता हो जिसका माप कम से कम 4 3 वर्ग मीटर होगा।

स्टोर का तात्पर्य वह कमरा जिसमे गृहस्थी का सामान एकत्रित किया जाता है जिसकी नाप कम से कम 3 2 वर्ग मीटर हो।

रसोई का तात्पर्य जो कमरा केवल खाना बनाने के प्रयोग में आता हो।

स्नानगृह का तात्पर्य जो नहाने व कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है।

बरामदा का तात्पर्य भवन का वह भाग जो केवल पिलर पर डाला गया हो और आगे से बन्द न हो।

शौचालय का तात्पर्य जो शौचालय के लिए प्रयोग होता है।

चक आवश्यक का तात्पर्य इसके द्वारा मकानो के बीच का पानी सरकारी नालो में प्रवेश करता हो और दोनो नजदीकी मकानों की रोशनी की सुविधा हो चौडाई 1 (एक) मीटर।

वेन्टीलेटर का तात्पर्य कमरा बन्द हो जाने के बाद जिसमें स्वच्छ हवा का प्रेशर होता है और दरवाजे की उॅचाई से अलग लगा हो।

छज्जा का तात्पर्य वह ऊपरी भाग जो धूप–पानी रोकने के लिए छत से लेवल पर बाहर निकाला गया हो।

खिड़की का तात्पर्य वह स्थान जिसके द्वारा दो कमरे मिल सकते है या हवा आदि के लिए मेन रास्ते पर भी खुलती हो।

मोरी का तात्पर्य जिसके द्वारा धुलाई इत्यादि का पानी कमरे से बाहर निकलता हो।

वाटिका:– भवन का वह खुला भाग जिसमें साग सब्जी व फुलवारी लगाई गयी हो।

नियम व शर्ते :– नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत के बिना पूर्व अनुमति के कोई भी भवन निर्माण न करायेगा न ही किसी प्रकार के भवन के रूप को स्वीकृति देगा।

• नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी– (अ) स्वीकृति हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर होगा। (ब) प्रार्थना-पत्र के साथ दो स्केली मानचित्रो में भूमि का पूर्ण विवरण दिय जायेगा। (स) यह विवरण नवनिर्माण, मरम्मत या फेरबदल के सम्बन्ध में दिया जायेगा। (द) अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र लगा होना आवश्यक है। (य) भूमि जिस पर निर्माण होना है वह सम्बन्धित के नाम राजस्व अभिलेखों में होना आवश्यक है। (र) नक्शा ग्राफ पेपर व ब्लू प्रिंट होंगे और तीसरा नक्शा जो नगर पंचायत में रखा जायेगा वह क्लाथ पेपर होगा।

• यह कि भवन निर्माण सरकारी सड़क व नाली के बाहरी किनारे से 5 फीट भूमि को छोड़कर किया जायेगा तथा तंग गालियों में 3 फीट भूमि छोड़कर किया जायेगा।

• यह कि भवन के निर्माण में पूर्णतः जगले व वेंटिलेटर होना चाहिए जिससे धूप व हवा का आवागमन रहे एवं इस प्रकार का जंगला या खिड़की न हो जिससे बराबर में रहने वालों को बेपर्दगी हो।

• यह कि भवन से निकलने वाला अतिरिक्त जल की निकासी हेतु भवन स्वामी पाइप द्वारा सरकारी नाली तक पहुचायेगा। यदि नाली नही है तो भवन में ही शोकपिट का निर्माण किया जायेगा।

• यह कि भवन में वर्षा जल संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है।

प्रक्रिया :– प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र को सर्वप्रथम निर्माण रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तत्पश्चात राजस्व विभाग द्वारा रिपोर्ट ली जायेगी, जिसके पश्चात् उस भूमि पर किसी प्रकार के बकाया जैसे गृहकर, जलकर, जलमूल्य आदि अवशेष नही होना चाहिए, कि स्थिति में अग्रिम विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

• भवन नक्शा स्वीकृति हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा तथापि नक्शे की जॉच किसी भी समय आर्किटेक्ट/अवर अभियंता (सिविल) के द्वारा करायी जा सकती है जिसका मूल्य भवन मालिक को देना होगा।

• भवन नक्शे की स्वीकृति अवधि एक (01) वर्ष की होगी। इस अवधि में निर्माण न होने पर पुनः एक हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से नवीनीकरण शुल्क जमाकर पुनः भवन मानचित्र/नक्शा आज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना होगा।

• भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद अथवा किसी भी माननीय न्यायालय का प्रतिकूल आदेश होने पर नक्शा स्वतः अस्वीकृत समझा जाएगा तथा विवाद समाधान हो जाने पर पुनः नक्शा स्वीकृत कराना होगा।

• भवन निर्माण पूर्ण होने पर आवेदक नगर पंचायत बकेवर, इटावा को अवगत करायेगा तथा कम्पलीशन सर्टिफिकेट अथात् मकान पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र देना होगा, इसके बाद ही भवन रहने योग्य माना जायेगा।

भू–भवन मानचित्र/नक्शा आज्ञप्ति निर्माण शुल्क की दरें– सभी प्रकार के आवासीय भवनों के कुल क्षेत्रफल पर रु0 01 प्रति वर्ग फिट या रु0 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से, जो न्यून हो तथा व्यवसायिक भवनों से रु0 10 रूपये प्रति वर्ग फिट या रु0 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से जो न्यून हो भू-भवन मानचित्र/नक्शा आज्ञप्ति निर्माण शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

• उपरोक्त क्षेत्रफल मात्र एक मंजिल का है, परन्तु एक से अधिक मंजिले बनाने पर कवर्ड क्षेत्रफल उसी अनुसार बढ़ता जायेगा।

भू–भवन मानचित्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्कः– नगर पंचायत बकेवर जनपद, इटावा में सम्मिलित जिन राजस्व ग्रामों में आवास विकास विभाग के द्वारा निर्गत विनियमित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है, ऐसे क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भू-भवन मानचित्र/नक्शा स्वीकृत करने के पूर्व निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) मांगे जाने पर नियमानुसार जांच के पश्चात् निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पूर्व निम्नानुसार सम्बन्धित से अनापत्ति।

प्रमाण-पत्र शुल्क :– आवासीय भवनों से रु0 01 प्रति वर्ग फिट या रु0 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से, जो न्यून हो तथा व्यवसायिक भवनों से रु0 10 रूपये प्रति वर्ग फिट या रु0 100 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो न्यून हो, अनापत्ति शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

नोट :– सड़क पर मलबा आदि डालने पर यदि सामान्य नागरिकों को असुविधा होती है, तो उसे तुरन्त हटाना होगा।

• किसी विवाद पर रद्द हुए नक्शे या अन्य कारणों से रद्द नक्शे पर जमा धनरशि वापस नही की जायेगी।

• नक्शा स्वीकृति को स्वामित्व से सम्बन्धित प्रमाण नही माना जायेगा। नक्शे के आधार पर स्वामित्व की मॉग नही की जायेगी।

• सरकार द्वारा पारित अधिनियम जैसेः– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एक्ट, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट अधिनियम तथा वर्तमान या भविष्य में निर्मित होने वाले अन्य सभी शासकीय निर्देश/नियम/अधिनियम के प्रावधानों में विरोधाभास हो तो केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देश/नियम/अधिनियम के प्राविधान प्रभावी माने जायेंगे।

विवेक यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बकेवर
जनपद, इटावा।

कार्यालय, नगर पंचायत थानाभवन जनपद-शामली

03 फरवरी, 2025 ई0

सं0 690/न0पं0था0/2024-25–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत थानाभवन, जनपद–शामली द्वारा आहुत अपनी बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2024 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''पार्किंग शुल्क नियमावली, 2024'' बनायी गयी है। प्रस्तावित ''पार्किंग शुल्क नियमावली 2024'' को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार सभी नगर वासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत थानाभवन, कार्यालय के पत्रांक 586/न0पं0था0/पा0शु0नि0/2024 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रस्तावित ''पार्किंग शुल्क नियमावली, 2024'' का प्रकाशन समाचार-पत्र पंजाब केसरी एंव तरूण मित्र में दिनांक 26 नवम्बर, 2024 में कराते हुये 30 दिन के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत थानाभवन, कार्यालय में प्राप्त नही हुये। नगरपालिका अधिनियम, 1916 के निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त ''पार्किंग शुल्क नियमावली, 2024'' शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

नगर पंचायत थानाभवन, पार्किंग शुल्क नियमावली, 2024

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली में **''पार्किंग शुल्क नियमावली, 2024''** कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1– संक्षिप्त नाम एवं प्रसार–

1– यह नियमावली नगर पंचायत थानाभवन, पार्किंग शुल्क नियमावली, 2024 कहलायेगी।

2– यह नियमावली नगर पंचायत थानाभवन की सीमा में पार्क किये जाने वाले सभी वाहनों पर लागू होगी।

3– यह नियमावली गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

2– परिभाषायें–

1– 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

2– 'नगर पंचायत' से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन से है।

3– 'अधिशासी अधिकारी' से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन के अधिशासी अधिकारी से है।

4– 'अध्यक्ष/प्रशासक' से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

5– 'पार्किंग शुल्क' से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन की सीमा में पार्क किये गये वाहनों से लिये जाने वाले शुल्क से है।

3– पार्किंग शुल्क हेतु नियम व शर्तें–

1– सभी वाहन चालकों के लिये नगर पंचायत द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्किंग की नीलामी मुख्यतः बस अड्डा हेतु की जायेगी। यह आवश्यक होगा कि सभी वाहन चालकों द्वारा अपने वाहन बस अड्डे के अन्दर ही पार्क किये जाये अथवा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पार्क किये जायेंगे।

2– सभी व्यावसायिक काम्पलेक्सों, बैंको, रेस्टोरेन्ट, होटलों, बाजार संचालकों, इत्यादि के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने ग्राहकों हेतु, पार्किंग की व्यवस्था करें। यदि उनके पास पार्किंग स्थल नही है। तथा वह सड़क के

अस्थायी अध्यासन हेतु अनुमति चाहतें है, तो उन्हे नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क व शर्तों के साथ एक अनुबन्ध करना होगा, तभी उन्हें पार्किंग की अनुमति दी जा सकेंगी।

3– सभी विवाह मंडपो, बारातघरों, अतिथिगृह, बैंक्वेटहाल, इत्यादि के लिये अपनी स्वयं की पार्किंग व्यवस्था करना अनिवार्य है। बिना पार्किंग व्यवस्था के ऐसे स्थलो पर किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नही दी जायेगी।

4– यदि कोई वाहन नगर पंचायत के नो पार्किंग जोन, सड़क, बाजार, कार्यालय या अन्य स्थान पर लावारिस के रूप में खड़ा पाया तो ऐसे वाहनों को नगर पंचायत द्वारा जब्त कर जुर्माना लगाया जायेगा। जो कि न्यूनतम 2 व्हीलर, 3 व्हीलर के लिये 500.00 रु0 व चार पहिया वाहन या व्यावसायिक वाहनों के लिये 2,000.00 रु0 होगा।

5– यदि कोई रोडवेज बस सड़क या नो पार्किंग जोन में खड़ी है, तो उस पर भी न्यूनतम 1,000.00 रु0 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

6– यदि कोई पार्किंग शुल्क से छूट प्राप्त वाहन सड़क, बाजार नो पार्किंग जोन में खड़ा है, अथवा लावारिस वाहन के रूप में सड़क पर खड़ा है अथवा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान से अन्य स्थान पर खड़ा है, तो उस पर भी जुर्माना किया जा सकता है। जो कि उपरोक्तानुसार ही होगा। जुर्माना अदा न करने पर वाहन को जब्त कर नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बार-बार इस उपविधि के किसी प्रावधान का उल्लघंन किया जाता है, तो जुर्माने की राशि दो गुनी वसूली जायेगी।

4– नीलामी कमेटी का गठन– नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत ऐसे सभी स्थान जहॉ पर वाहनों को पार्क किया जा सकता है, उनका चयन नगर पंचायत द्वारा किया जायेगा। नगर पंचायत द्वारा चयनित सभी पार्किंग स्थलों की यथा सम्भव नीलामी की जायेगी। नीलामी करने से पूर्व नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा एक अस्थाई समिति का गठन किया जायेगा, जिसे पार्किंग नीलामी समिति कहा जायेगा। पार्किंग नीलामी समिति का गठन निम्नवत होगा।

अध्यक्ष नगर पंचायत	– नीलामी समिति का अध्यक्ष
अधिशासी अधिकारी	– सचिव संयोजक
लेखा लिपिक	– सदस्य
कोई भी तीन सभासद	
जिन्हें अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किया जाये	– सदस्य

नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी से पूर्व शर्तों का निर्धारण किया जायेगा, जो की नगर पंचायत थानाभवन की सीमा के अन्दर नीलाम होने वाले सभी पार्किंग स्थलों हेतु मान्य होगी।

5– पार्किंग शुल्क की दरें–

1– बस अथवा इसी प्रकार के सवारी वाहन–50.00 रु0 प्रति प्रवेश शुल्क।

2– मिनी बस व इसी प्रकार के मोटर यात्रिक वाहन–25.00 रु0 प्रति प्रवेश शुल्क नगर पंचायत में वाहनों की पार्किंग हेतु, पार्किंग स्थलों का चयन कर उन्हे खुली बोली नीलामी द्वारा ठेके पर छोड़ा जायेगा व नगर पंचायत में मुख्य पार्किंग स्थल पर चरथावल बस अड्डा रहेगा जिससे प्रत्येक वित्तीय वर्ष खुली बोली नीलामी द्वारा छोड़ा जायेगा।

3– जीप टैक्सी, टाटा सूमो, मेटाडोर, कारे व इसी श्रेणी के अन्य वाहन–15.00 रु0 प्रति प्रवेश शुल्क लिया जायेगा।

4– माल वाहक ट्रक तथा ऐसे ही बड़े वाहन–100 रु0 प्रति प्रवेश शुल्क।

5– छोटे मालवाहक वाहन–50.00 रु0 प्रति प्रवेश शुल्क।

6– अन्य सभी वाहन जो उक्त सूची में नही है, तथा उनको इस उपविधि के अन्तर्गत छूट वाले वाहनों की सूची में भी शामिल नही किया गया है–15.00 रु0 प्रति प्रवेश शुल्क।

6– पार्किंग शुल्क से छूट वाले वाहन– रिक्शा, जुगाड़ मार्शल विक्रम, आटो रिक्शा, थ्रीव्हीलर, टू-व्हीलर, घोड़ा गाड़ी, भैसा बोगी, ट्रैक्टर ट्राली, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस, और इसी प्रकार के अन्य वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे।

7– पार्किंग शुल्क की क्षतिपूर्ति– यदि किसी आकस्मिक स्थिति में रूट के प्राइवेट वाहन बन्द हो जाते हैं। अथवा नगर पंचायत के किसी निर्णय से ठेकेदार को पार्किंग शुल्क वसूली में क्षति होती है, या ऐसे ही किसी अन्य परिस्थिति से वसूली शुल्क में कमी आती है, तो नगर पंचायत बोर्ड द्वारा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति हेतु, ठेके की धनराशि में कमी करने का अधिकार होगा।

8– क्षतिपूर्ति दावा हेतु प्रक्रिया– क्षतिपूति के किसी भी दावे पर निर्णय करने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा।

1– ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना-पत्र नगर पंचायत कार्यालय में देना होगा। जिसमें पार्किंग शुल्क वसूली की अनुमानित क्षति एवं उसके कारणों का स्पष्ट विवरण दर्ज होगा। जुर्माना की दर वही रहेगी जो कि इस उपविधि के उपरोक्त प्रावधानों में दी गयी है। जुर्माना की दर में 10% की वृद्धि प्रत्येक 3 साल बाद स्वतः ही हो जायेगी।

2– उक्त प्रार्थना-पत्र पर अधिशासी अधिकारी के द्वारा गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा। यदि प्रार्थना-पत्र को अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो उसे बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड द्वारा बहुमत के आधार पर उस पर निर्णय लिया जायेगा। जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

9– शमन– इस उपविधि के अन्तर्गत लगाये गये किसी भी दण्ड को पूर्णतः या आंशिक रूप से शमन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा जो, कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

10– सक्षम प्राधिकारी– इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा।

11– विशेष उपबंध– यदि इस उपविधि के प्रावधानों को लागू कराने में कोई कार्य लोकहित या शासकीय हित में किया जाता है तो उस पर कोई भी वाद किसी भी राजस्व सिविल न्यायालय में पोषणीय नहीं होगा।

12– निरसन– इस उपविधि के लागू होने के पश्चात् निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

दण्ड

1– जो भी व्यक्ति इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उलंघ्घन करता है तो वह जुर्माना अथवा वाहन जब्तीकरण अथवा दोनों प्रकार से दण्ड का भागी होगा। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर जुर्माना नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 6 में दी गयी रीति से वसूला जायेगा।

2– जुर्माना अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा वसूला जायेगा।

जितेन्द्र राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत थानाभवन,
जनपद-शामली।

सूचना
इन्सोलवेन्सी जज, सहारनपुर

न्यायालय इन्सोलवेन्सी जज/सिविल जज (सी0डि0), जिला सहारनपुर वाद सं0/इन्सोलवेन्सी सं0 01 सन् 2023

प्रदीप कुमार

बनाम — अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री हेमचन्द अग्रवाल निवासी बसन्त विहार दिल्ली रोड एक्सटेन्सन स्टेट बैंक कालोनी मन्दिर के सामने सहारनपुर।

अरविन्द अग्रवाल आदि

जो कि उपरोक्त प्रार्थी ने दिनांक 21 अगस्त, 2023 को यू0पी0 प्राविन्सील इन्सोलवेन्सी ऐक्ट 1920 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है और उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के लिये अदालत में दिनांक 22 सितम्बर, 2023 नियुक्त किया है।

अतः आप/आम जनता को सूचित किया जाता है कि आप/किसी को अगर उपरोक्त आवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह नियुक्त तिथि पर स्वयं या किसी अवाम को या वकील द्वारा हाजिर हों।

आज दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत से जारी किया गया।

आज्ञा से,
(ह0) अस्पष्ट
सिविल जज (सी0डि0),
जिला सहारनपुर

सूचना

इन्सोलवेन्सी जज, सहारनपुर

न्यायालय इन्सोलवेन्सी जज/सिविल जज (सी0डि0), जिला सहारनपुर वाद सं0/इन्सोलवेन्सी सं0 01 सन् 2023

प्रदीप कुमार

बनाम — पंजाब नेशनल बैंक, एस0एम0ई0 चर्च कम्पाउन्ड सहारनपुर द्वारा मैंनेजर।

अरविन्द अग्रवाल आदि

जो कि उपरोक्त प्रार्थी ने दिनांक 21 अगस्त, 2023 को यू0पी0 प्राविन्सील इन्सोलवेन्सी ऐक्ट 1920 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है और उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के लिये अदालत में दिनांक 22 सितम्बर, 2023 नियुक्त किया है।

अतः आप/आम जनता को सूचित किया जाता है कि आप/किसी को अगर उपरोक्त आवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह नियुक्त तिथि पर स्वयं या किसी अवाम को या वकील द्वार हाजिर हों।

आज दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत से जारी किया गया।

आज्ञा से,
(ह0) अस्पष्ट
सिविल जज (सी0डि0),
जिला सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम रमेश कुमार राम है, जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक एवं प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक–5083912 वर्ष 2015) एवं इण्टरमीडिएट के अंक एवं प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 5688442 वर्ष 2017) में मेरे पिता का नाम रमेश कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

निशांत कुमार,
पुत्र रमेश कुमार राम,
नि0–631/94, एहसान नगर,
निकट सेक्टर–9, इन्दिरा नगर,
लखनऊ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी माता तथा पिता का सही नाम क्रमशः सुषमा सिंह तथा मनोज कुमार सिंह है। जो उनके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल (सी0बी0एस0सी0) बोर्ड के अंक प्रमाण पत्र में अनुक्रमांक 23253612 सन् 2022 में माता तथा पिता का नाम क्रमशः सुषमा (SUSHMA) एम0के0 सिंह (M.K. SINGH) हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

उत्सव सिंह,
ग्राम–कोथरिया पो0 अदलाबाद,
जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामा देवी है मेरे पिता का नाम श्याम सुन्दर त्रिपाठी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है मेरे आधार कार्ड संख्या–2529 5234 7226 में मेरा नाम गुड़िया देवी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामा देवी पुत्री श्याम सुन्दर त्रिपाठी पत्नी अशोक कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

रामा देवी,
पुत्री श्याम सुन्दर त्रिपाठी,
पत्नी अशोक कुमार मिश्र,
निवासिनी–खैरा गौरबारी पो0 गडवारा,
तहसील सदर, जिला–प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम धरमावती देवी पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद उपाध्याय जो मेरे निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अंकित है। मेरा घरेलू नाम धरमा है जो मेरे आधार कार्ड संख्या–6035 3451 5021 में अंकित हो गया है। भविष्य में मेरा सही नाम धरमावती देवी पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धरमावती देवी,
पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद उपाध्याय,
निवासी ग्राम सिरसा पोस्ट कोरौत,
थाना लोहता जिला–वाराणसी (उ0प्र0)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम संस्कार पटेल पुत्र शैलेन्द्र कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश पुत्र के आधार संख्या–5752 8086 9915 में उसका नाम हर्षित अंकित हो गया है, जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम संस्कार पटेल पुत्र शैलेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शैलेन्द्र कुमार,
पुत्र सहजराम,
नि0–ग्राम-रौनी, पोस्ट-त्रिवेदीगंज,
तह0 हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड (3881 5335 3835) में उसका नाम अविनेष कुशवाहा (Avines Kushwaha) अंकित हो गया है, जो कि गलत हैं जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अमिनेष कुमार कुशवाहा (Aminesh Kumar Kushwaha) है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमिनेष कुमार कुशवाहा पुत्र नन्दलाल कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

नन्दलाल कुशवाहा,
निवासी–144, नयापुरा,
स्टैनली रोड, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम प्रेमशीला है जो उनके आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक–23154784 में मेरी माता का नाम ज्ञानमती पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

Nikhil Pandey,
Ranibagh Rustampur,
Gorakhpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इन्द्रकली पत्नी स्व0 केदार नाथ है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेख, बैंक पासबुक तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 6581 6274 7732 में मेरा नाम अनारकली अंकित हो गया है जो कि गलत है। मुझे मेरे सही नाम इन्द्रकली पत्नी स्व0 केदार नाथ के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

इन्द्रकली,
पत्नी स्व0 केदार नाथ,
निवासिनी–हवासपुर, कनिहार हेतापुर,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विराज गुप्ता पुत्र महेश कुमार कसौधन है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7329 4161 4814 में उसका नाम कुंज कसौधन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विराज गुप्ता पुत्र महेश कुमार कसौधन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

महेश कुमार कसौधन,
नबीपुर, ओम नगर,
सुल्तानपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्वेच्छा यादव पुत्री सुनील कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार संख्या–7350 0175 8073 में उसका नाम अनी यादव अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम स्वेच्छा यादव पुत्री सुनील कुमार के नाम से जानी व पहचानी जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनील कुमार,
पता–ग्राम पुरेअवधी,
पो0 व थाना–हर्रैया, जिला बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम SUZANNE GUPTA पुत्री नीरज गुप्ता है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–6153 8785 0860 में उसका नाम SUZANE GUPTA नाम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम SUZANNE GUPTA पुत्री NEERAJ GUPTA के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रेखा चन्द्र,
65ए राजा रीवां कैम्पस,
लीडर रोड, बड़ी स्टेशन,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या पुत्री सतीश कुमार तिवारी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–2378 0290 5363 में उसका नाम गुनगुन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या पुत्री सतीश कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सतीश कुमार तिवारी,
पुत्र चन्द्रशेखर तिवारी,
ग्राम–वाजिदपुर, परियावां,
जिला प्रतापगढ़।

सूचना

मै अरविन्द कुमार सिंह निवासी–2/450 विनम्र खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, सूचित हो कि मेरा सही नाम अरविन्द कुमार सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह JAGDISH NARAYAN SINGH है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार, पैन कार्ड, तथा मेरे डिचार्ज बुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पीपीओ नं0–08/14बी/07017/2001 में मेरा नाम अरविन्द कुमार सिंह मुन्ना अंकित हो गया है जो कि गलत हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरविन्द कुमार सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरविन्द कुमार सिंह,
पुत्र जगदीश नारायण सिंह,
निवासी–2/450 विनम्र खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विन्नो देवी (Vinno Devi) पुत्री लक्ष्मीशंकर उपाध्याय है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–3032 3647 0521 में मेरा नाम बिन्नो पाण्डये (Binno Pandey) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विन्नो देवी (Vinno Devi) पुत्री लक्ष्मीशंकर उपाध्याय पत्नी वेदपति पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विन्नो देवी,
पुरा दलेल, अल्लापुर,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ''AKRITI PANDEY'' पुत्री रविकर पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–9261 7993 8240 में उसका नाम AAKRITI PANDEY अंकित हो

गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ''AKRITI PANDEY'' पुत्री रविकर पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रविकर पाण्डेय,
264/1 स्ट्रैनली रोड,
कमलानगर, सदर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्द्र प्रसाद वयस्क पुत्र बंशलाल है। जो मेरे वाहन आर0सी0 खतौनी, बैंक पासबुक व पहचान पत्र में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0–9555 0075 9269 में मेरा नाम सतेन्द्र अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेन्द्र प्रसाद वयस्क पुत्र बंशलाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजेन्द्र प्रसाद वयस्क
पुत्र बंशलाल,
निवासी–ग्राम ढोडियाही कोरांई,
फतेहपुर, उ0प्र0।

सूचना

मेरा सही नाम रमनदीप सिंह छाबड़ा पुत्र सेवा सिंह छाबड़ा है, जो मेरे समस्त शैक्षिक/सरकारी अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 233344750 में मेरा नाम मास्टर मोहक छाबड़ा अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे रमनदीप सिंह छाबड़ा पुत्र सेवा सिंह छाबड़ा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

रमनदीप सिंह छाबड़ा,
पुत्र–सेवा सिंह छाबड़ा
निवासी–421एफ, शिवकटरा,
शक्तिपुरम कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम खुशी प्रजापति पुत्री मदन प्रजापति है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–9495 5104 9600 में उसका नाम शताक्षी प्रजापति अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम खुशी प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मदन प्रजापति,
3/A, बहादुरपुर, कल्याणपुर,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे माता–पिता का सही नाम क्रमशः नीति साहू (NITI SAHU) तथा नरेन्द्र (NARENDRA) है, जो इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, सत्य व सही है।

त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक–पत्र व प्रमाण पत्र अनु0–5109203 सन् 2018 में माता का नाम नीति साहूं (NEETI SAHU) तथा पिता का नाम नरेन्द्र कुमार (NARENDRA KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि असत्य व गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

कार्तिकेय गुप्ता
पुत्र श्री नरेन्द्र
नि0 मोहल्ला रसूलाबाद
पो0 हवेली तह0 सदर
जौनपुर, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्राची गौतम पुत्री राधे लाल है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0 233205674 में मेरा नाम काजल अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्राची गौतम पुत्री राधे लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्राची गौतम बलिग,
पुत्री राधे लाल,
निवासी–4/368 डी0मननिपुर्वा,
पुराना कानपुर, कतारिजियोरा,
नवाबगंज, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे माता का सही नाम दीपिका चन्देल है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड शैक्षिक अभिलेख में अंकित है तथा मेरे हाई स्कूल के अंक पत्र व प्रमाण पत्र में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमिडिएट के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक–23673934) में मेरी माता का नाम दीपिका नारायण अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शिवम सिंह,
पुत्र रामनारायण सिंह,
निवासी–जाजीपुर करिकन,
फतेहपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जमुना देवी पत्नी स्व0 रामप्रसाद है। जो मेरे परिवार रजिस्टर, ई–श्रम कार्ड तथा उप जिलाधिकारी द्वारा जारी जांच आदेश में भी अंकित है लेकिन त्रुटिवश आधार कार्ड संख्या 4937 6253 9954 में मेरा नाम रामश्री अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम जमुना देवी पत्नी रामप्रसाद है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

जमुना देवी पत्नी स्व0 रामप्रसाद
निवासी ग्राम पोस्ट बावन,
जिला हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजू त्रिवेदी पुत्र गया प्रसाद त्रिवेदी है। जो मेरे पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड व पासपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5200 9581 4556 में मेरा नाम अमरेश कुमार त्रिवेदी अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजू त्रिवेदी पुत्र गया प्रसाद त्रिवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजू त्रिवेदी पुत्र गया प्रसाद त्रिवेदी
128/586, वाई ब्लाक किदवई नगर
कानपुर नगर।

सूचना

आधार कार्ड संख्या 7995 7162 4652 में मेरा नाम भूलवश प्रवीन कुमार दर्ज हो गया है जो गलत है। जबकि मेरे शैक्षिक अभिलेखों मेरा सही नाम नवीन प्रकाश जो सही है। भविष्य में मुझे नवीन प्रकाश पुत्र सत्य प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

नवीन प्रकाश पुत्र सत्य प्रकाश
निवासी बैरनी सनौरा
पो0 प्रतापपुर शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अभिषेक गुप्ता पुत्र धर्मेश कुमार है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5607 6979 7976 में मेरा नाम जय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम

अभिषेक गुप्ता पुत्र धर्मेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अभिषेक गुप्ता पुत्र धर्मेश कुमार
निवासी–ग्राम व पोस्ट–जगतपुर
तहसील–ऊंचाहार, रायबरेली (उ0प्र0)।

सूचना

मैं विभा सिंह पत्नी जय प्रकाश सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट तेजगांव पिन 229215 जनपद रायबरेली उ0प्र0 सूचित करती हूं कि मेरा सही नाम विभा सिंह पुत्री उमेश्वर प्रताप सिंह पत्नी जय प्रकाश सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के पासपोर्ट संख्या H 0871683 में मेरा नाम प्रभा सिंह अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है।

विभा सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म में जे0पी0 इण्टरप्राइजेज 10ए जे0पी0 नगर नैनी, प्रयागराज में मनोज कुमार सिंह दिनांक 01.04.2025 को बतौर भागीदार शामिल हो गये है। अब फर्म में राधेश्याम सिंह, दिलीप कुमार सिंह, श्रीमती अंजू सिंह, श्रीमती संगीता सिंह, हर्ष सिंह, मंजीत सिंह, रविकान्त सिंह व मनोज कुमार सिंह कुल मिलाकर 8 भागीदार है। जिनका भागीदारी अनुपात राधेश्याम सिंह 5 प्रतिशत, दिलीप कुमार सिंह 20 प्रतिशत, श्रीमती अंजू सिंह 10 प्रतिशत, श्रीमती संगीता सिंह 20 प्रतिशत, हर्ष सिंह 10 प्रतिशत, मंजीत सिंह 5 प्रतिशत, रविकान्त सिंह 10 प्रतिशत तथा मनोज कुमार सिंह 20 प्रतिशत का होगा।

राधेश्याम सिंह
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ड्रैगन कंस्ट्रक्सन जिसका पंजीकरण संख्या VAR/0007281 दिनांकित 04.09.2022 है व जिसका पंजीकृत कार्यालय S 2/656 A 3 B वरूणा विहार कॉलोनी, शिवपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221002 है, जिसके सभी साझेदारों दयाशंकर सिंह पुत्र बलिराम सिंह निवासी पश्चिमपुर, जमालपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221105 प्रदीप कुमार सिंह पुत्र दयाशकर सिंह निवासी 5/152 के0पी0आर0 प्रताप नगर कॉलोनी, सेक्टर ए, लक्ष्मणपुर, शिवपुर, तरना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221002 एव वन प्लेस इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वजरिये निदेशक रणविजय सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह निवासी एस–2/656, वन प्लेस टावर, वरूणा विहार कॉलोनी, शिवपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221002 की आपसी सहमति से दिनांक 05.03.2025 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी विघटित होने की सूचना फर्म निबंधक वाराणसी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जा रही है।

दयाशंकर सिंह
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आकाश कंस्ट्रक्सन 104 पश्चिमपुरी शास्त्रीपुरम रोड, सिकन्दरा, आगरा उपरोक्त फर्म में श्रीमती वीना देवी पत्नी महावीर प्रसाद, श्री आकाश बसंल पुत्र श्री महावीर प्रसाद सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 12.12.2019 को संचालन की थी। दिनांक 01.04.2025 से श्री राजीव बसंल पुत्र श्री महावीर प्रसाद नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है अब फर्म को श्री आकाश बसंल, श्रीमती वीना देवी, श्री राजीव बसंल संचालित करेंगे।

आकाश बसंल
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 जुन्सी कंस्ट्रक्सन ग्रा0 व पो0 भैंसा तह0 व जिला मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री महावीर प्रसाद पुत्र

जुन्सी राम, श्री दीपक बसंल पुत्र श्री महावीर प्रसाद, श्री राजीव बसंल पुत्र श्री महावीर प्रसाद सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01.04.2015 को संचालन की थी दिनांक 31.03.2025 से श्री राजीव बसंल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नहीं है अब फर्म को श्री महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 जुन्सी राम, श्री दीपक बंसल पुत्र श्री महावीर प्रसाद संचालित करेंगे।

महावीर प्रसाद
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स चन्देला कैरियर्स 248/24 एच0 06ए, हेस्टिंग रोड, अशोक नगर, प्रयागराज के भागीदार अजय कुमार सिंह दिनांक 21.03.2025 को उक्त फर्म से स्वेच्छापूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये अलग हो गये हैं अब फर्म में निमिष मिश्रा, नीरज मिश्रा तथा उत्सव मिश्रा कुल तीन भागीदार हैं जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः निमिष मिश्रा 20 प्रतिशत, नीरज मिश्रा 60 प्रतिशत तथा उत्सव मिश्रा 20 प्रतिशत होगा। फर्म से अलग हुये भागीदार अजय कुमार सिंह का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन देन तथा दायित्व शेष नहीं है तथा अजय कुमार सिंह का दिनांक 21.03.2025 के प्श्चात उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का वित्तीय तथा विधिक उत्तरदायित्व नहीं होगा।

निमिष मिश्रा
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एमएसपार्क फ्यूचरिस्टिक्स एण्ड एसोसिएटस पता 458 बी रीजेंट शिप्रा सनसिटी इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनर शिप 01.10.2014 को हुई थी जिसमें पहले तीन पार्टनर 1–श्रीमती रीतू रमन पत्नी श्री चन्द्र भानु रमन, 2–श्री चन्द्र भानु रमन पुत्र स्व0 कामेश्वर प्रसाद, 3–श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव थें। संशोधित साझेदारीनामा दिनांक 31.01.2018 के अनुसार फर्म का पता 458 बी रीजेंट शिप्रा सनसिटी इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बदल कर टावर सी 708 एण्ड 709 8th फ्लोर नोएडा वन प्लाट नं0 8 ब्लॉक बी सेक्टर 62 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश हो गया है। संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार दिनांक 31.08.2024 की साझेदारी के अनुसार साझेदार नं0 (3) श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना–देना बकाया नहीं है तथा अब इस फर्म में क्रम से दो साझेदार (1) श्रीमती रीतू रमन पत्नी श्री चन्द्र भानु रमन (2) श्री चन्द्र भानु रमन पुत्र स्व0 कामेश्वर प्रसाद हो गये हैं।

श्रीमती रीतू रमन
साझेदार।

सूचना

फर्म मेसर्स कानपुर सटर, 3/69, विष्णुपुरी, कानपुर नगर में फर्म के पार्टनर मोहन लाल अग्रवाल पुत्र जवाहर मल नि0 3/69, विष्णुपुरी, कानपुर नगर का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2024 को हो गया है तथा दिनांक 01.01.2025 से फर्म में श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल नि0 3/69, विष्णुपुरी, कानपुर नगर, श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल नि0 3/69, विष्णुपुरी, कानपुर नगर, नीता अग्रवाल पुत्री श्री राम किशोर अग्रवाल नि0 3/69, विष्णुपुरी, कानपुर नगर पार्टनर हैं।

मनोज कुमार अग्रवाल
पार्टनर
फर्म मेसर्स–कानपुर सटर,
3/69, विष्णुपुरी, कानपुर नगर।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अजय साहू एण्ड सन्स पता–92, आर0ए0 लाइन, तोपखाना बाजार, पोस्ट–दिलकुशा, लखनऊ कैन्ट–226002 से पंजीकृत है। यह कि 4 साझेदार– श्री अजय कुमार साहू पुत्र स्व0 बाला प्रसाद साहू, श्री शिवम साहू पुत्र अजय कुमार साहू, श्रीमती रेखा साहू

पत्नी अजय कुमार साहू एवं श्रीमती चन्द्र मुखी साहू पत्नी स्व0 नरेश कुमार साहू साझेदार थे। दिनांक 25.03.2025 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्रीमती चन्द्र मुखी साहू पत्नी स्व0 नरेश कुमार साहू अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल रही हैं। वर्तमान में 3 साझेदार क्रमशः श्री अजय कुमार साहू, श्री शिवम साहू एवं श्रीमती रेखा साहू साझेदार हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

साझेदार
अजय कुमार साहू
मेसर्स–अजय साहू एण्ड सन्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयष कुमार सोनकर पुत्र राजेश कुमार सोनकर है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3582 4907 3564 में उसका नाम श्रेयष सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रेयष कुमार सोनकर पुत्र राजेश कुमार सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतांए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेश कुमार सोनकर,
पता– 96ए/5बी उमरपुर नींवा
सुलेम सराय थाना धूमनगंज,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आन्जनेय राय पुत्र अम्बरीष कुमार राय है जो कि इनके शैक्षिणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9765 3736 2671 में इनका नाम राजबीर राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम आन्जनेय राय पुत्र अम्बरीष कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अम्बरीष कुमार राय,
नि0 टोला–फुलवरिया, महुईसुघरपुर
पो0 नई शिवपुरी कालोनी,
तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिया तिवारी पुत्री कृपा शंकर तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 7178 6512 5568 में उसका नाम खुशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिया तिवारी पुत्री कृपा शंकर तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कृपा शंकर तिवारी,
निवासी सीकटा, पोस्ट–पवांरी कलां,
हलिया, पैवारी कलां, लालगंज,
मिर्जापुर, (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मलिक यादव (MALIK YADAV) पुत्र मोती लाल यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9773 5976 3932 में उसका नाम विमलेश यादव अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मलिक यादव पुत्र मोती लाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोती लाल यादव,
ग्राम–शहबाजपुर, पोस्ट–ऊंचगांव,
जिला-आजमगढ़।

सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय स्टील्स, मेरठ रोड़ एवरी ऑटोमैटिक धर्म कांटा मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक कार्यालय मेरठ क्षेत्र मेरठ के यहां से दिन 8 दिसम्बर, 1986 को हुआ था फर्म में दि0 3 अक्टूबर, 2024 को फार्म नं0 7 के अनुसार सहायक निबन्धक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा विजय पाल सिंह, शैलेन्द्र कुमार निवासीगण 570, सिविल लाईन, (नार्थ) अंसारी रोड़ मुजफ्फरगर पार्टनर के नाम पंजीकृत हुये थे और अब दिन 01 दिसम्बर, 2024 की पार्टनरशीप डीड के अनुसार शैलेन्द्र कुमार पार्टनर ने पार्टनरशीप से त्याग पत्र दे दिया है और उसी दि0 01 दिसम्बर, 2024 को फर्म में श्रीमती आशा रानी नये पार्टनर के रूप में फर्म में शामिल हो गयी। वर्तमान में फर्म में विजय पाल सिंह व श्रीमती आशा रानी पार्टनर रह गये है।

विजय पाल सिंह,
(पार्टनर)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम आदित्य तिवारी पुत्र ऋषिकेश तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 4400 9547 0441 में उसका नाम आयुष तिवारी अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य तिवारी पुत्र ऋषिकेश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ऋषिकेश तिवारी,
पता–718, वार्ड नं0 15 उमा नगर
देवरिया, देवरिया उत्तर प्रदेश।
पिन–274001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शिवांशी पुत्री श्री मनोज केसरवानी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। किन्तु त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 2389 5378 9720 में उसका नाम राधिका केसरवानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शिवांशी पुत्री श्री मनोज केसरवानी नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज केसरवानी,
पुत्र किशोरी लाल,
नि0–जेल रोड चाका,
नैनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आर्या सिंह पुत्री मनीष सिंह है। जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 5290 4451 7183 में उसका नाम अस्था सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आर्या सिंह पुत्री मनीष सिंह के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनीष सिंह,
पता–कमरौली इंडस्ट्रियल एरिया,
जगदीशपुर, अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यम् राठौर पुत्र मातेन्द्र विक्रम सिंह है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम दिव्यम्

राठौर से बदल कर देवांश प्रताप सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को देवांश प्रताप सिंह पुत्र मातेन्द्र विक्रम सिंह के नाम से जाना पहचान जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मातेन्द्र विक्रम सिंह,
तलौआ मैदान, शाहजहाँपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम सालेहा अन्जुम है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई–स्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक–5106092) में मेरी माता का नाम शबाना अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जेहरा सलमान,
पुत्री मो0 सलमान,
पता–320/क जेल के पीछे,
अचलपुर, पोस्ट-कादीपुर, जिला–प्रतापगढ़।

पी0एस0यू0पी0–2 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।